जमा जिमा जिमा निगम

संसद के अधिनियम द्वारा स्यापित



प्रत्येक जमाकर्ता को प्रत्येक बीमाकृत बैंक 'में रहनेवाली 10,000 रुपयों तक की उसकी जमा-राशियों के भुगतान की गारंटी दी जाती है।

> आठवीं वार्षिक रिपोर्ट

31 दिसंबर 1960 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्मारकों की रिपोर्ट, तलनपत्र और लेखे। जमा बीमा निगम, बम्बई

जमा बीमा निगम

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

श्री लक्ष्मी कान्त झा गवर्न र, रिज़र्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया, वंबई ।

निदेशक

श्री बी. एन. मडारकर उप-गवर्नर, रिजर्व वैंक ग्रॉफ़ इंडिया, बंबई।

श्री डी. एन. घोष निदेशक, बैंकिंग विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार ।

श्री पी. के. घोष

श्री वी. एच. वोरा

कार्यकारी निदेशक

श्री ग्रार. के. शेषाद्रि

मैनेजर'

बंकर

लेखापाल

श्री एम. जे. ग्रम्बानी

रिज़र्व वैंक ग्रॉफ़ इंडिया

मेंसर्स के. एस. ग्रय्यर एण्ड कं. सनदी लेखापाल 49, ग्रपोलो स्ट्रीट, बंबई-1

रजिस्टर्ड कार्यालय

विद्युत भवन, पाठकवाड़ी, जी. टी. ग्रस्पताल के सामने, पोस्ट वैंग संख्या 2810, बंबई-2

प्रेषण - पत्र

जमा बीमा निगम

विद्युत भवन पाठकवाड़ी, जी. टी. ग्रस्पताल के सामने, पोस्ट बैंग संख्या 2810, बंबई-2

367/डी ग्राई सी. 50बी-70

31 मार्च, 1970 10 चैत्र, 1892 (शक)

सचिव, रिजर्व बैंक भ्रॉफ़ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई।

प्रिय महोदय,

जमा बीमा निगम ग्रधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपवन्धों के ग्रनुसार निदेशक बोर्ड की ग्रोर से इस पत्र के साथ मुझे निम्नलिखित दस्तावेज भेजने का निदेश हुग्रा है:—

(1) 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र और लेखे और उनके साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

ग्रौर

(2) 1969 के वर्ष के लिए निगम के कार्यचालन के बारे में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय

एम. जे. अम्बानी मैनेजर

31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जमा बीमा निगम के कार्यचालन की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड जमा बीमा निगम (ज. बी. निगम) ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 32(1) की शर्तों के ग्रनुसार, इसके द्वारा 31 दिसंबर 1969 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ज. बी. निगम के कार्यचालन की ग्राठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

2. वर्ष 1969 के ग्रारंभ में निगम द्वारा रिजस्टर किए गए बीमाकृत बैंकों की संख्या 88 थी। इस वर्ष के दौरान ग्रन्य बीमाकृत बैंकों में समामेलन ग्रथवा ग्रास्तियों ग्रौर देयताग्रों का हस्तान्तरण किए जाने के परिग्णामस्वरूप 3 बीमाकृत बैंकों की रिजस्ट्री ज. बी. निगम ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 13 के ग्रधीन रह कर दी गयी। जिन बैंकों की बीमाकृत बेंक रिजस्ट्री वर्ष के दौरान रह करनी पड़ी उनका विवरण नीचे दिया गया है:—

	बीमाकृत वैंक का नाम	रजिस्ट्री रद्द करने का कारएा	रजिस्ट्री रद्द् किए जाने की तारीख	रजिस्ट्री रह् किए जाने की तारीख को निर्धारणीय जमा-राशियाँ	हस्तान्तरी बैंक का नाम
				(रुपये लाखों मे	ř)
1.	चावला वैंक लि.	समामेलन	23- 6-1969	3.46	न्यू वैंक ग्रॉफ़ इंडिया लि.
2.	वैंक ग्रॉफ़ कारैकुडि लि.	देयताग्रो ग्रौर तुल्य ग्रास्तियों	31-10-1969	88.43	वैंक श्रॉफ़ मदुरा लि.
3.	वैंक ग्रॉफ़ विहार लि.	का ग्रंतरएा समामेलन	8-11-1969	1556.27	स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया

इस प्रकार वर्ष के ग्रंत में निगम में दर्ज वीमाकृत वैंकों की संख्या 85 थी (देखिए परिशिष्ट I) ।

3. जनवरी, 1962 में निगम की स्थापना से ग्रव तक कुल 204 बैंकों की रजिस्ट्री रह की जा चुकी है। इससे केवल 13 मामलों में ही निगम के ऊपर दायित्व ग्राया है। चूंकि शेष 191 बैंकों के विषय में या तो जमाकर्ताग्रों की समस्त देयताएँ ग्रन्य बैंकों को ग्रंतरित कर दी गई या उनकी पूर्ति उक्त बैंकों हारा स्वयं कर दी गई ग्रतः निगम को इनके लिए भुगतान करने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ी।

4. वीमाकृत वैं कों की संख्या में वर्षानुवर्ष हुई कमी नीचे दी गई सारगी में दर्शाई गई है।

वर्ष के ग्रंत में	की गयी	वर्ष के ग्रारंभ में				
रजिस्ट्रीकृत बैंकों की संख्या	निगम पर दायित्व			रजिस्ट्रीकृत — वैंकों की संख्या	वर्ष	
	नहीं ग्राया है	ग्राया है	*			
6	5	4	3	2	1	
276	9	2	11	287	1962	
250	25	1	26	276	1963	
157@	88	6	94	250	1964	
109	48	-	48	157	1965	
100@	8	2	10	109	1966	
91	9		9	100	1967	
88	3		3	91	1968	
85	1	2	3	88	1969	
	191	13	204			

[@] उस एक बैंक का हिसाब लगाने के बाद जिसने वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू किया था।

- 5. 204 बैंकों की रजिस्ट्री को रद्द किए जाने के समय उन सबकी निर्धारणीय जमा-राशियाँ कुल मिलाकर 71.29 करोड़ रुपये थीं। उनमें से उन 13 बैंकों की कुल निर्धारणीय राशियाँ 21.13 करोड़ रुपये थीं जिनके मामलों में निगम पर दायित्व ग्राया है। 12 बैंकों के मामले में निगम की देयता का हिसाब 57.03 लाख रुपये निकलता है जब कि एक बैंक के लिए उसके दायित्व का निर्धारण इस वर्ष के ग्रंत तक नहीं हो पाया है।
- 6. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का ग्रर्जन ग्रौर ग्रंतरण) ग्रधिनियम 1969 (जिसके स्थान पर इस वीच ग्रध्यावेण जारी कर दिया गया है) के उपवन्धों के ग्रधीन वर्तमान बैंकों से मिलते जुलते 14 विधिक निगमों की स्थापना की गई ग्रौर 19 जुलाई, 1969 से उनके उपक्रमों तथा कारोबार का ग्रर्जन उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर लिया गया। चूंकि ग्रिधिनयम में तदनुरूपी नए वैंकों को वीमाकृत बैंकों की हैसियत से जारी रखने का उपवंध है, ज. बी. निगम राष्ट्रीयकरण की धारा 14 के ग्रधीन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1962 में भेजी गई रजिस्ट्री की सूचनाएँ वापस मँगा ली गई ग्रीर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का ग्रर्जन ग्रौर ग्रंतरण्) ग्रधिनियम की धारा 20 के ग्रनुसरण् में उन में तदनुरूपी नए बैंकों के नाम लिखने के उपरान्त उन्हें संबंधित बैंकों को लौटा दिया गया। परिशिष्ट I में तदनुरूपी नए बैंकों के नाम तारांकित करके दर्शाए गए हैं।
- 7. इस समय जो जमा बीमा योजना लागू है वह ग्रधिनियम की धारा 2 (छ) के ग्रनुसार विदेशी सरकारों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या वािएाज्य बैंक की जमा-राशियों पर लागू नहीं होती। इसिलए निगम द्वारा उक्त श्रेिएायों की जमा-राशियों का बीमा नहीं किया जाता ग्रीर ये राशियाँ बीमाकृत वैंकों द्वारा दी जानेवाली बीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय नहीं हैं। फिर भी, स्वायत्त ग्रथवा विधिक निकाय, ग्रर्ध-सरकारी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी उपक्रम ग्रीर निगम ग्रादि की जमा-राशियों का बीमा किया जाता है ग्रीर तदनुसार वे बीमा-किस्त के लिए भी निर्धारणीय होती हैं।

8. 1961 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष के ग्रंत में वैंकों के पास की वीमा न की जा सकनेवाली जमा-राशियों की सूचना नीचे की सारगी में दी गई है :

					(रु ग	ाये करोड़ों में)
दिसंबर के ग्रंतिम शुक्रवार को	विदेशी, केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारों से प्राप्त जमा-राशियाँ	वाि्गज्य वैंकों से प्राप्त जमा-राशियाँ	बीमा न की जानेवाली जमा-राशियों का जोड़ (2+3)	बीमा की जानेवाली जमा-राशियाँ	कुल जमा	(6) से (4) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1961	207.55	92.30	299.85	1693.75	1993.60	15.0
1962	193.81	64.98	258.79	1899.17	2157.96	12.0
1963	163.48	68.84	232.32	2159.51	2391.83	9.7
1964	122.78	72.84	195.62	2471.51	2667.13	7.3
1965	101.60	106.99	208.59	2860.77	3069.36	6.8
1966	88.07	137.94	226.01	3369.48	3595.49	6.3
1967	103.47	125.69	229.16	3745.59	3974.75	5.8
1968	119.32	129.09	248.41	4203.78	4452.19	5.6
1969	133.89	118.95	252.84	4859.60	5112.44	4.9

^{&#}x27; इससे यह पता लगता है कि वीमाकृत बैंकों की कुल जमा का बीमा न की जा सकनेवाली राशि से जो प्रतिशत है, उस में निर्रतर गिरावट ग्राई है ग्रौर वह 1961 में 15.0 से घटकर 1969 में 4.9 ही रह गया है।

^{9.} किसी वैंक में एक सी हैसियत ग्रौर ग्रधिकार में रखी हुई जो ग्रवत्त वकाया राशियाँ जमाकर्ता को देय होती हैं उनके सबन्ध में बीमा-रक्षा-राशि की सीमा को 1 जनवरी 1968 को बढ़ाकर रु. 5000 कर दिया गया था; बीमा की रक्षा वह ग्रालोच्य वर्ष में ज्यों की त्यों बनी रही। बीमाकृत बैंकों की निर्धारणीय जमा-राशियों के प्रत्येक सौ राशि (कवर) और रुपये पर उनके द्वारा देय 5 पैसे वार्षिक बीमा किस्त की दर भी ज्यों की त्यों बनी रही। बीमा-किस्त की दर

10. कुल निर्धारणीय ग्रौर बीमाकृत जमा-राशियों की मात्रा के संबंध में कुछ विवरण नीचे की सारणी में दिये गये हैं ।

(रकम करोड रुपयों में)


					**	
निम्नलिखित ग्रन्तिम शुक्रवारों को	पूरी तरह संरक्षित खाते (वे खाते जिनके ग्रधिशेष 1967 तक 1500 रु. से ग्रीर तदुपरांत 5000 रु. से ग्रधिक नहीं थे)	कुल संख्या	(3) से (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा- राशियाँ (सब खातों की वे राशियाँ जो 1967 तक 1500 रु. से ग्रीर तदुपरांत 5000 रु. से ग्रिधक नहीं हुई)	वीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय जमा-राशियों की कुल रकम	(6) से (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	- 5	6	7
दिसंबर 1961 सितंबर 1962 सितंबर 1963 सितंबर 1964 सितंबर 1965 सितंबर 1966 सितंबर 1967 सितंबर 1968 सितंबर 1969	55,41,625 59,77,420 66,52,066 76,26,226 88,97,805 1,03,64,153 1,18,66,532 1,59,52,273 1,86,09,051	70,58,448 77,03,548 85,86,932 98,37,176 1,15,75,916 1,35,63,618 1,55,24,841 1,75,47,550 2,05,01,104	78.5 77.6 77.5 77.5 76.9 76.4 76.4 90.9 90.8	392.32 448.00 500.16 574.37 690.62 824.29 924.91 2,022.79 2,374.05	1,693.75 1,895.27 2,106.78 2,437.29 2,743.94 3,236.31 3,603.49 4,011.88 4,670.08	23.1 23.6 23.7 23.6 25.2 25.5 26.2 50.4 50.8


- 11. उक्त विवरण से यह पता लगता है कि 1961-69 की ग्रविध के दौरान वीमा-किस्त के लिए निर्धारणीय जमा-राशियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । पहली जनवरी 1968 से प्रत्येक जमाकर्ता के लिए वीमा-रक्षा-राशि की सीमा 1500 रु. से बढ़ाकर 5000 रु. कर दिए जाने के कारण कुल निर्धारणीय जमा-राशियों से वीमाकृत जमा-राशियों का जो प्रतिशत 1967 में 26.2 था वह 1968 में तेजी से बढ़कर 50.4 हो गया । 1969 में इसमें ग्रीर ग्रधिक वृद्धि हुई ग्रीर वह 50.8 हो गया । कुल जमा-खातों की संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त जमा-खातों का जो प्रतिशत 1967 में 76.4 था वह ऊपर दिये गये कारणों से बढ़कर 1968 में 90.9 हो गया था परंतु वह 1969 में थोड़ा-सा कम होकर 1968 हो गया । पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खाते ग्रीर ग्रंशतः संरक्षण प्राप्त खाते कुल निर्धारणीय जमा-राशियों का कमशः 1968 शौर 1968 हो (चार्ट III)। यद्यपि वािएज्य वैंकों की कुल जमा-राशियों में निरंतर वृद्धि हुई है तथापि वे ग्रनुमानित राष्ट्रीय ग्राय का केवल 15.9% ही हैं। इसके मुकावले में जापान, ग्रास्ट्रेलिया, ग्रमेरिका, कनाडा ग्रीर 1968 के यही ग्रांकड़े कमशः 1968,
- 12. वीमाकृत बैंकों के स्राकार के स्रनुसार, स्रांकड़ों का व्योरेवार विश्लेषण परिशिष्ट II में दिया गर्या है। सितं-वर 1969 के ग्रंत में 25 करोड़ या इससे ग्रधिक रुपये की जमा-राशियोंवाले बैंकों के खातों की कुल संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या का प्रतिशत 89.0 ग्रौर ग्रंशत: संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या का प्रतिशत 91.3 था। इस प्रकार वड़े बैंकों की तुलना में छोटे बैंकों के खातों ग्रौर उनकी पूरी तरह वीमाकृत जमा-राशियों का ग्रनुपात ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक पाया गया। 25 करोड़ रुपये या इससे ग्रधिक निर्धारणीय जमा-राशियोंवाले वैंकों के मामलों में खातों की कुल संख्या से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों का ग्रनुपात 88.9%औ र 93.3% के बीच रहा जब किएक करोड़ रुपये या उससे कम निर्धारणीय जमा-राशियोंवाले बैंकों के मामलों में यही ग्रनुपात 96.5% था। कुल निर्धारणीय जमा-राशियों से बीमाकृत जमा-राशियों के प्रतिशत के रूप में दर्शायी गयी रक्षा-राशि की सीमा 25 करोड़ रुपये या इससे ग्रधिक जमा-राशियोंवाले बैंकों के मामलों में 45.0% ग्रौर 51.2% के बीच रही जब कि एक करोड़ रुपये या इससे कम जमा-राशियोंवाले बैंकों में यह सीमा बढ़कर 72.2 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।
- 13. 31 दिसंबर, 1969 को कारोबार बंद होने के समय का निगम का तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा, तुलन-पत्र और इसके बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सिहत संलग्न है। आय-व्यय लेखा

14. 1969 के दौरान निर्धारणीय जमा-राशियों की रकम में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इस वर्ष जमा बीमा निधि में 300.98 लाख रुपयों की राशि जमा हुई है। इसके मुकावले में 1968 में 254.12 लाख रुपयों की राशि जमा हुई थी। 1968 के ग्रंत में इस निधि की जो राशि 1,113.49 लाख रुपये थी वह 1969 के जमा-बीमा निधि समाप्त होते होते वढ़ कर 1,414.47 लाख रुपये हो गई। यह निधि बीमा-किस्तों से होनेवाली कुल 1,217.63 लाख रुपयों की ग्राय ग्रौर निवेशों से होनेवाली कुल 217.34 लाख रुपयों की ग्राय से मिलकर बनी है ग्रौर निवेशों के मूल्य-ह्रास ग्रौर वीमा-हानियों के लिए 20.50 लाख रुपयों की व्यवस्था को घटाने के बाद वची है। वर्ष 1962 से लेकर जमा बीमा निधि की रकमें ग्रौर उनसे कुल निर्धारणीय जमा-राशियों तथा बीमाकृत जमा-राशियों के ग्रनुपात नीचे की सारणी में दर्शाये गए हैं:

निम्नलिखित वर्षों के ग्रंत में	निधि की रकम (रुपये लाखों में)	निर्धारगीय जमा- राशियों का प्रतिशत	बीमाकृत जमा-राशियो का प्रतिशत
1962	92.84	0.05	0.20
1963	202.70	0.10	0.40
1964	320.67	0.13	0.56
1965	466.63	0.17	0.68
1966	648.29	0.20	0.79
1967	859.37	0.24	0.91
1968	1,113.49	0.28	0.55
1969	1,414.47	0.30	0.60


- 15. श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार में स्थिरता वनी रही तथा $5\frac{1}{2}\%$ वाले।1992 और 1995 के ऋगों के चालू वाजार भावों को हिष्ट में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इन ऋगों की प्रतिभूतियों को बेचकर उनकी विकी की रकम का पुनिनवेश जमा बीमा निधि के निवेश $\frac{5\frac{1}{2}\%}{6}$ वाले 1999 के ऋगा में पुनिनवेश किए जाने के कारण सामान्य या चालू श्राय की प्राप्त में किसी कमी के निवेश $\frac{1999}{6}$ के ऋगा में पुनिनवेश किए जाने के कारण सामान्य या चालू श्राय की प्राप्त में किसी कमी के विना ही निगम 6.12 लाख रुपये का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सका । 31 दिसंबर 1969 को जमा बीमा निधि से किए गए निवेशों का वाजार भाव (1405.17) लाख रुपये उनके लागत-मूल्य, श्रर्थात् 1399.02 लाख रुपये से 6.15 लाख रुपये ग्रिधिक था । परिशिष्ट III में दिया गया ब्योरा देखिए । निधि में किए जानेवाले निवेशों के बाजार भाव में ग्रानेवाली तेजी को ध्यान में रखते हुए 1969 के राजस्व में से मूल्य-हास के लिए कोई श्रौर व्यवस्था करना ग्रावश्यक नहीं समझा गया । फिर भी, 31 दिसंवर 1969 को तदर्थ विद्यमान 5,50,000 रुपये की व्यवस्था पूर्ववत् रहने दी गई।
- 16. जमा बीमा निगम ग्रिधिनियम, 1961 की धारा 26(1) के ग्रिधीन, निगम को रिज़र्व बैंक से जमा बीमा निधि के उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये तक ग्रावश्यकतानुसार ऋगा जेने का ग्रिधिकार है। इसी ग्रिधिनियम की धारा 27 के ग्रिधीन निगम चाहे तो, जमा बीमा निधि की ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए सामान्य निधि से रकमें भी ग्रंतरित कर सकता है; पर इस वर्ष ऐसी नौबत नहीं ग्राई कि निगम रिज़र्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया ग्रथवा सामान्य निधि से ऋगा ले।
- 17. निगम का स्थापना खर्च जो पूरी तरह से सामान्य निधि द्वारा वहन किया जाता है, इस वर्ष कम होकर 3.13 लाख रुपये हो गया है जब कि 1968 में वह 3.41 लाख रुपये था। इसका प्रमुख कारएा यह है कि पिछले वर्ष के खर्चों में 0.24 लाख रुपये की वह रकम भी शामिल थी जो सभी श्रेिए।यों के कर्मचारी-वर्ग की परिसामान्य निधि लिक्धियों के वढ़ाये जाने के कारएा बकाया राशियों के भुगतान के लिए दी गई थी। इस घटे हुए खर्च में निवेशों से पिछले वर्ष हुई 4.99 लाख रुपये की ग्राय के मुकाबले में इस वर्ष हुई 5.52 लाख रुपये की ग्राय की वृद्धि मिला देने पर इस वर्ष 1968 के 1.58 लाख रुपये के ग्रिधिशेप की तुलना में 2.39 लाख रुपये का ग्रिधिशेप रहा।
- 18. सामान्य निधि के $5\frac{1}{2}\%$ वाले 1992 ग्रौर 1995 के ऋगों की निधियों को पैराग्राफ 15 में उल्लिखित कारगों से बेच दिया गया ग्रौर उनके विक्री-ग्रागम का $5\frac{1}{2}\%$ वाले 1999 के ऋगा में पुनिविष किया गया। इस निवेश-ग्रंतरगा से 0.30 लाख रुपये का वास्तविक लाभ हुग्रा ग्रौर सामान्य निधि इससे निवेशों की चालू लिध्धयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष के ग्रंत में सामान्य निधि से किए गए निवेशों की रकम लागत-मूल्य के ग्रनुसार 114.72 लाख रुपये थी। वाजार-भाव में वृद्धि होने के कारगा इन निवेशों का मूल्य-ह्रास जो 1968 के ग्रंत में 0.39 लाख रुपये था, घटकर 0.30 लाख रुपये रह गया (परिशिष्ट III देखिए)। निधि के निवेशों के मूल्य-ह्रास के लिए की गई व्यवस्था के ग्रंतर्गत निगम के पास पहले से ही 31 दिसंवर 1968 को 6.10 लाख रुपये की जो रकम थी वह ज्यों की त्यों रहने दी गई है।






बीमे की परिव्याप्ति

वाणिज्य बैंकों में बीमाकृत खातों की कुल संख्या (सितंबर 1969)




वाणिज्य बैंकों में निर्धारणीय जमा-राशियों की कुल रकम (सितंबर 1969)



1-4-1970 से बीमा रक्षा राशि की सीमा को रु 5,000 से बढ़ाकर रु. 10,000 कर देने के कारण पूर्णतः संरक्षित खातों और इन खातों की जमा-राशियों में हुई वृद्धि ।

चार्ट IV

चुने हुए देशों की अनुमानित राष्ट्रीय आय - 1968 में जमा-राशियों का प्रतिशत (राष्ट्रीय आय = 100)



19. इस वर्ष निगम को वैकिंग विनियमन ग्रिधिनियम, 1949 की धारा 45 के ग्रिधीन क्रमण: न्यू वैंक ग्रांफ़ इंडिया लि. ग्रीर स्टेट वैंक ग्रांफ़ इंडिया के साथ समामेलित किए गए दो वैं कों, ग्रिथीत् चावला वैंक लि. तथा वैंक ग्रांफ़ विहार लि. के मामलों में बीमाकृत जमाराणियों की ग्रदायगी का दायित्व पूरा करना पड़ा। चावला वैंक लि. और प्राप्त के मामले में निगम को 0.18 लाख रुपये के दावों का भुगतान करना पड़ा या उनके भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ी। यह रकम बीमाकृत राणि ग्रीर हस्तांतरी वैंक द्वारा ग्रपने कव्जे में ली गई ग्रासानी से उगाही जा सकनेवाली ग्रास्तियों में से दी गई 91% की ग्रारंभिक जमा के बीच का ग्रंतर है।

जहाँ तक ग्रैंक ग्रॉफ़ विहार लि. का प्रश्न है, उसके मामले में स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया ने इस निगम, रिजर्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया ग्रीर के न्द्रीय सरकार से विचार-विमर्श करने के बाद इस ग्राधार पर जमाकर्ताग्रों को पूरी रकम की ग्रदायगी करने का प्रबन्ध किया कि निगम स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगा जो संबंधित योजना के ग्रधीन ग्रासानी से उगाही जा सकने-वाली ग्रास्तियों में से 91.38% की दर से ग्रानुपातिक ग्रदायगी कर दिए जाने के बाद शेष बची राशि ग्रौर 5,000 रुपयों या इस से कम की कुल वास्तिवक बीमाकृत राशियों के बीच का ग्रंतर हो। जमा बीमा निगम ग्रधिनियम 1961 की धारा 18(1) के ग्रधीन हस्तांतरी ग्रैंक द्वारा निगम को दी जानेवाली जमाकर्ताग्रों की सूची प्राप्त हो चुकी है ग्रौर उसकी जाँच की जा रही है। ऐसा ग्रनुमान है कि निगम को लगभग 60 लाख रुपये के दावों का भुगतान करना पड़ेगा परन्तु चूकि ग्रभी तक कुल देय रकम का ठीक-ठीक निर्धारणा नहीं हो पाया है ग्रत: स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया को ग्रभी तक कोई ग्रदायगी नहीं की गई है।

चावला बैंक लि. के दावों के चुकाये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा श्रपनी स्थापना से इस वर्ष के ग्रंत तक ग्रदा किये गए या व्यवस्था किए गए दावों की कुल रकम 56.85 लाख रुपयों से बढ़कर 57.03 लाख रुपये हो गई है । चूंकि ग्रालोच्य वर्ष में कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुग्रा ग्रतएव निगम को बैंकों से प्राप्त दावों की प्रतिपूर्ति की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा ग्रौर वह ज्यों की त्यों ग्रर्थात् 35.72 लाख रुपये ही वनी रही । 1969 की समाप्ति तक ग्रदा किये गए या व्यवस्था किए गए दावों तथा बैंक ग्रॉफ़ विहार लि. को छोड़कर 12 बैंकों के मामलों में प्राप्त कुल प्रतिपूर्ति की स्थित परिशिष्ट IV में दर्शाई गई है । इससे यह पता चलेगा कि इन बैंकों की ग्रोर से की गई ग्रदायिगयों के बावत निगम द्वारा जिस वास्तिवक राशि की वसूली की जानी थी वह 21.31 लाख रुपये थी ।

- 20. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि शत्रु-सम्पत्ति परिरक्षक को वह राशि ग्रदा कर दी जाए जो निगम को बैंक ग्रॉफ़ चाइना के सरकारी परिसमापक से चीनी जमाकर्ताग्रों को देय दावों के संबंध में प्राप्त हुई थी पर उन्हें ग्रदा नहीं की गई। इस निर्णय के ग्रनुसरण में निगम ने 2.12 लाख रुपयों की संबंधित राशि परिरक्षक को प्रेपित कर दी है। नेशनल बैंक ग्रॉफ़ पाकिस्तान तथा हवीब बैंक लि. में शत्रु देश के नागरिकों की जिन बीमा-कृत जमा-राशियों की ग्रदायगी पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है उनकी ग्रदायगी से संबन्धित निगम के दायित्व का मामला ग्रभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है।
- 21. चुकाये गए ग्रथवा व्यवस्था किए गए दावों के विषय में ग्रनुमानित बीमा हानियों की स्थित की इस वर्ष के ग्रंत में समीक्षा की गई ग्रौर इसके लिए 13.50 लाख रुपये की वर्तमान व्यवस्था को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया। बैंक बीमा-हानियों श्रॉफ़ बिहार या किसी ग्रन्य बैंक के बावत यदि कोई ऐसी प्रत्याशित हानियाँ हों जिनसे भविष्य के लिए में निगम पर दायित्व पड़ सकता है उनकी व्यवस्था के लिए इस रकम को ग्रौर ग्रधिक बढ़ाने व्यवस्था के प्रश्न पर ग्रागे चलकर ऐसी उपयुक्त स्थिति ग्राने पर तव विचार किया जाएगा जब ग्रावश्यक व्योरा उपलब्ध हो जाएगा।
- 22. जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, राष्ट्रपित द्वारा जमा बीमा निगम (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1968 पर 27 दिसंबर 1968 को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे ग्रावश्यक विधान नहीं बनाए हैं जिनसे ग्रभी तक संबंधित राज्यों के सहकारी बैंक बीमे के हकदार हो सकें ग्रतएव उनपर ग्रभी उक्त सहकारी बैंकों के ग्रिधिनियम के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र ने हाल में ही रिजर्व बैंक द्वारा लिए जमा बीमा सुझाई गई नीति के ग्रनुसार ग्रपने सहकारी समिति ग्रिधिनियम में संशोधन कर लिया है। रिजर्व लागू करना बैंक ग्रांफ इंडिया इस मामले में ग्रन्य राज्य सरकारों के साथ सिक्रय रूप से ग्रनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि जमा बीमा निगम जितनी जल्दी व्यवहार्य हो उतनी जल्दी इस योजना की सुविधा को हकदार सहकारी समितियों की काफ़ी बड़ी संख्या के लिये लागू कर सके।
- 23. 31 दिसंबर 1969 को कुल 1,324 सहकारी बैंक थे। इनमें से एक लाख रुपये या उससे श्रधिक प्रदत्त पंजी ग्रौर रक्षित निधियोंवाले 930 प्राथमिक सहकारी गैंक, 366 केन्द्रीय सहकारी वैंक ग्रौर 28 राज्य सहकारी बैंक थे। प्राथ-मिक सहकारी वैंकों में वेतनभोक्ताग्रों की 283 समितियाँ भी शामिल हैं। वेतनभोक्ताग्रों की बहुत सी जिन समितियों का

पहले प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में वर्गीकरण किया गया था, उनको फिर से गैर-बैंकिंग समितियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और उनके इस बात के लिए राजी हो जाने पर कि वे गैर-सदस्यों से जमा प्राप्त नहीं करेंगी, उन्हें बैंकिंग विनियमन ग्रिधिनियम के विस्तार क्षेत्र से निकाल दिया गया है। बैंकिंग विनियमन ग्रिधिनियम, 1949 (सहकारी बैंकों पर लागू) के ग्रिधीन बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए सभी सहकारी बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक ग्रांफ़ इंडिया से लाइसेंस लेना जरूरी है परंतु जो बैंक इस ग्रिधिनियम के लागू होने की तारीख ग्रिथीत् 1 मार्च 1966 को विद्यमान थे उन्हें तब तक बैंकिंग व्यवसाय करने की ग्रिनुमित दी गई है जब तक उन्हें लाइसेंस नहीं दे दिया जाता या उन्हें यह सूचित नहीं कर दिया जाता कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लाइसेंस देने से पहले रिज़र्व बैंक इन बैंकों का निरीक्षण करता है। दिसंबर 1969 के ग्रंत तक केवल 21 सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

- 24. भारत सरकार ने श्री. एस. एस. शिरालकर, ग्रितिस्त सचिव, वैंकिंग विभाग, भारत सरकार की ग्रध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था ताकि यह दल ग्रपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, छोटे रोजगार, ऋण बीमा लघु कृषि तथा ग्रपना काम ग्राप करनेवाले व्यक्तियों ग्रादि को ऋएा देने में ऋएादाता वैंकों द्वारा योजना उठाए जानेवाले ऋएा जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करनेवाली एक विस्तृत बीमा योजना तैयार कर सके। इस दल ने 15 नवंबर 1969 को ग्रपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें ग्रन्य वातों के साथ-साथ यह सिफ़ारिश भी की गई है कि ऋएा बीमा योजना को पूरा करने का कार्य जमा बीमा निगम को सौंपा जाए। इस वर्ष के ग्रंत तक यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन ही थी।
- 25. ग्रिधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (9) के ग्रिधीन श्री. वी. एच. वोरा का निदेशक बोर्ड ्निगम के निदेशक के रूप में 31 दिसंबर 1969 को कार्यकाल समाप्त होने पर केन्द्रीय सरकार ने रिज़र्व और कार्यकारिणी वैंक की सिफ़ारिश पर उन्हें पहली जनवरी 1970 से दो वर्ष के लिए फिर से निदेशक मनोनीत किया। सिमित वाद में, निदेशक बोर्ड ने श्री वोरा को कार्यकारिएगी सिमित के सदस्य के रूप में फिर से मनोनीत किया।
 - 26. इस वर्ष के दौरान निद्रेशक-बोर्ड की 5 ग्रौर कार्यकारिएगी सिमिति की 4 वैठकें हुईं ।
- 27. रिजर्व वैंक ऑफ़ इंडिया की पूर्व-स्वीकृति से निदेशक वोर्ड ने वर्ष 1969 के लिए मेसर्स के. एस. अय्यर एण्ड लेखा परीक्षक कं. को निगम का लेखा—परीक्षक नियुक्त किया है।
- 28. निगम को कार्यालय-स्थान ग्रौर ग्रन्य ग्राकिस्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया सामान्य के साथ की गई व्यवस्थाएँ इस वर्ष जारी रहीं।

निगम की ग्रोर से

लक्ष्मी कान्त झा

ग्रध्यक्ष

वंबई, तारीख 18 मार्च 1970

परिजिष्ट है

31 दिसंबर 1969 को रजिस्ट्रीकृत बीमाकृत वैंकों की सूची

- *1. इलाहाबाद वैंक, कलकत्ता
- 2. ग्रमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैं किंग कार्पेरिशन, बंबई
- 3. ग्रांध्र बैंक लिमिटेड, मसूलिपट्टनम
- 4. वैंक ग्रॉफ़ ग्रमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्ज एसोसिएशन, बंबई
- *5. वैंक ग्रॉफ़ बड़ौदा, बड़ौदा
- 6. वैंक ग्रॉफ़ कोचीन लि. एग्रांकुलम
- *7. वैंक ग्रॉफ़ इंडिया, बंबई
- 8. बैंक ग्रॉफ़ कराड़ लि., कराड़
- 9. बैंक ग्रॉफ़ मद्रा लि., मद्रै
- *10. वैंक ग्रॉफ़ महाराष्ट्र, पूना
 - 11. वैंक ग्रॉफ़ राजस्थान लि., जयपूर
 - 12. वैंक ग्रॉफ़ टोकियो लि., कलकत्ता
 - 13. वैंक नेशनले डि पेरिस, वंबई
 - 14. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि., बरेली
 - 15. बारी दोग्राव वैंक लि., होशियारपुर
 - 16. बेलगाँव वैंक लि., बेलगाँव
 - 17. बनारस स्टेट बैंक लि., वाराणसी
 - 18. ब्रिटिश वैंक ग्रॉफ़ दी मिडल ईस्ट, बंबई
- *19. केनरा बैंक, मंगलूर
- 20. केनरा बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, उडिपी
- 21. कैथोलिक सीरियन वैंक लि., त्रिच्र
- *22. सेंट्रल बैंक ग्रॉफ़ इंडिया, बंबई
- 23. चार्टर्ड बैंक, कलकत्ता
- *24. देना वैंक, बंबई
- 25. धनलक्ष्मी वैंक लि., त्रिचूर
- 26. ईस्टर्न बैंक लि., कलकत्ता
- 27. फ़ेडरल बैंक लि., ग्रलवाई
- 28. फ़र्स्ट नेशनल सिटी वैंक, बंबई
- 29. गएरेश वैंक ग्रॉफ़ कुरुंदवाड लि., कुरुंदवाड
- 30. गोहाटी वैंक लि., गोहाटी
- 31. जनरल वैंक ग्रॉफ़ दी नीदरलैण्ड्स, कलकत्ता
- 32. हिन्दुस्तान कर्माशयल वैंक लि., कानपुर
- 33. हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल वैंक लि., कलकत्ता
- 34. हाँगकाँग एण्ड शंघाई वैंकिंग कार्पोरेशन, कलकत्ता
- *35. इंडियन बैंक, मद्रास
- *36. इंडियन ग्रोवरसीज वैंक, मद्रास
- 37. जम्मू एण्ड काश्मीर वैंक लि., श्रीनगर
- 38. झरिया इंडस्ट्रियल बैंक प्राइवेट लि., झरिया
- 39. कर्नाटक बैंक लि., मंगलूर
- 40. करूर वैश्य वैंक लि., करूर
- 41. काशी नाथ सेठ वैंक प्राइवेट लि. शाहजहानपुर
- 42. कृष्णराम बलदेव बैंक लि., ग्वालियर
- 43. कुंभकोराम सिटी यू नियन बैंक लि., कुंभकोराम
- 44. लक्ष्मी कर्माशयल बैंक लि., नई दिल्ली
- 45. लक्ष्मी विलास वैक लि., करूर
- 46. लॉर्ड कृष्एा वैंक लि., कंगनूर

- 47. मकँटाइल वैंक लि., बंबई
- 48. मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज
- 49. मित्सूई वैंक लि., बंबई
- 50. नैनीताल बैंक लि., नैनीताल
- 51. नारंग बैंक ग्रॉफ़ इंडिया लि., नई दिल्ली
- 52. नेशनल एण्ड ग्रिडलेज वैंक लि., कलकत्ता
- 53. नेशनल वैंक ग्रॉफ़ लाहौर लि., दिल्ली
- 54. नेड्नगाडी बैंक लि., कोळिकोड
- 55. न्यू बैंक ग्रॉफ़ इंडिया, नई दिल्ली
- 56. ग्रोरिएंटल बैंक ग्रॉफ़ कॉमर्स लि., दिल्ली
- 57. परूर सेंट्रल बैंक लि., उत्तर परूर
- 58. पंजाब को-ग्रॉपरेटिव वैंक, जालंधर शहर
- 59. पंजाब एण्ड काश्मीर बैंक लि., दिल्ली
- *60. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली
- 61. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि., नई दिल्ली
- 62. रत्नाकर बैंक लि., कोल्हापुर
- 63. साहकारा बैंक लि., लुधियाना
- 64. सांगली बैंक लि., सांगली
- 65. साउथ इंडिया बैंक लि., तिरुनेलवेली
- 66. साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिचूर
- 67. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर शहर
- 68. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ हैदराबाद, हैदराबाद
- 69. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंडिया, बंबई
- 70. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ इंदौर, इंदौर
- 71. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ मैसूर, बंगलूर
- 72. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ पर्टियाला, परियाला
- 73. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ सौराष्ट्र, भावनगर
- 74. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ त्रावनकोर, त्रिवेन्द्रम
- *75. सिंडीकेट वैंक, मिएापाल
- 76. तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक लि., तूत्तुकुडि
- 77. तंजाऊर पर्मनेंट वैंक लि., तंजाऊर
- 78. ट्रेडर्स वैंक लि., नई दिल्ली
- *79. यूनियन वैंक ग्रॉफ़ इंडिया, बंवई
- *80. युनाइटेड वैंक ग्रॉफ़ इंडिया, कलकत्ता
- *81. युनाइटेड कर्माशयल बैंक, कलकत्ता
- 82. युनाइटेड इंडस्ट्रियल वैंक लि., कलकत्ता
- 83. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा शहर
- 84. विजय वैंक लि., मंगलूर
- 85. वैश्य वैंक लि., बंगलू र

*तदनुरूपी नये वैंक

परिक्षिष्ट 🏻

बीमे के अंतर्गत आनेवाले बेंकों का उनके आकार के अनुसार विश्लेषण (1961 के दिसंबर तथा 1962 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष के सितंबर के ग्रंतिम शुक्रवार को)

(रुपये लाखों में)

								, , ,
£* 1		वैंकों की संख्या	पूरी तरह संरक्षण प्राप्त खातों की संख्या (ग्रर्थात् वे खातें जिनके ग्रधिशेप 1967 तक 1,500 रु. से ग्रधिक न थे ग्रौर उसके बाद 5,000 रु. से ग्रधिक न थे)	खातों की कुल संख्या	प्रतिशत तब	वीमाकृत जमा (ग्रर्थात् सभी बातों में 1967 ह 1,500 रु. तक ग्रीर उसके वाद ,000 रु. तक की राणियाँ)	वीमा-किस्त के लिए निर्धारगाीय कुल जमा	(6) से (5) का प्रतिशत
		1	2	3	4	5	6	7
बैंक जिन	की जमाराशिय	 πੈ :						
(i) l	100 करोड़ रुप	यों से ग्रधिक हैं		•				
. ,	1961	5	19,07,565	26,08,513	73.1	17244.19	86024.65	20.4
	1962	5	20,56,863	28,61,493		19855.88	96614.94	20.5
	1963	5	23,03,769	32,01,003		22279.55	108010.07	20.6
	1964	6	30,74,624	42,29,309		29088.07	138462.50	21.0
	1965	7	39,65,311	54,77,182		37999.30	166473.38	22.8
	1966	0	50,96,334	70,56,148		49678.17	207848.96	23.9
		0	66,42,248	90,41,212		61039.83	243480.54	25.1
	1967	1.7	The street of th	1,11,98,695		145059.51	293553.75	49.4
	1968	1.0	1,00,17,283			183358.19	361872.86	50.7
	1969	13	1,34,26,587	1,49,27,864	r 09.9	103330.19	301072.00	30.7
(ii)	50 करोड़ रुपयं	ों से ग्रधिक परंतु	100 करोड़ रुपयों तक	हैं				
` '	1961	5	7,70,242	10,14,608	3 75.8	6197.07	31166.68	19.8
	1962	5	8,25,565	10,96,603	75.3	6813.43	33754.29	20.2
	1963	4	9,09,942	12,13,716	75.0	7614.56	31888.94	23.9
	1964	5	13,85,569	17,80,744		10333.84	38319.58	27.0
	1965	6	21,19,236	26,29,196		13441.78	43504.23	30.9
	1966	8	27,12,915	33,44,64		16821.24	56402.65	29.8
	1967	7	24,04,677	29,85,96		15648.78	51198.50	30.6
	1968	F	26,15,724	27,62,162		21731.23	37076.06	58.6
		•	20,13,721	21,65,76		20226.22	39500.58	51.2
	1969	0	20,21,341	. 21,00,70	33.3	20220.22	33300.30	31.2
(iii)	25 करोड़ रुप	यों से ग्रधिक परंतृ	50 करोड़ रुपयों तक	हैं				
,	1961	5	6,71,802	8,31,405	80.8	4305.59	15026.17	28.7
	1962	5 5	7,54,562	9,47,116	79.6	5068.76	17148.89	29.5
	1963	6	13,05,115	15,84,932		7635.97	27658.34	27.6
	1964	8	14,06,449	16,86,914			31144.64	25.0
	1965	0	12,98,142	16,14,713			33181.42	25.7
	1966	•	10,76,654	13,49,16			28241.16	24.6
			12,87,232	16,26,26			36531.65	23.4
	1967	10		15,87,46			38908.14	43.3
	1968	10	14,50,790				29089.03	
	1969	7	11,14,532	12,15,32	0 91.7	13003,03	49009.03	45.0

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>/</i> · \	10>	× >		05 > >	A.				
(iv)		ा संग्र		तु 25 करोड़ रुपयों तक				18081 50	07.7
	1961			9,51,626	11,30,263	84.2		17871.79	27.7
	1962			10,26,510	12,33,390	83.2		21796.82	26.7
	1963	• .		9,89,313	12,25,841	80.7		24696.62	25.5
	1964			6,85,824	8,46,847	81.0		17710.56	23.5
	1965			3,81,855	4,90,263	77.9	2719.16	12343.60	22.0
	1966		6	3,23,116	4,10,032	78.8	2188.51	10178.57	21.5
	1967		8	5,66,097	6,94,121	81.6	3395.39	10513.08	32.3
	1968		10	7,74,261	8,31,448	93.1	8067.82	13730.52	58.8
	1969		13	10,67,445	11,44,792	93.2	10929.91	19644.14	55.6
(v)	l करोड़ रुपये से	ग्रिधिव	ह परंत <u>ु</u> ी	0 करोड़ रुपयों तक हैं					
	1961		45		10,55,542	83.4	4775.77-	15521.78	30.8
	1962		44	9,45,560	11,40,084	82.9		16298.88	33.1
	1963		42	8,07,526	9,72,810	83.0		15063.93	30.6
	1964		38	8,22,542	9,99,196	82.3	4830.59	15234.29	31.7
	1965		45	10,04,606	12,13,486	82.8		17408.50	33.0
	1966		45	10,73,854	13,06,528	82.2	6342.99	19887.97	31.9
	1967		40	9,05,355	11,06,705	81.8		17871.08	30.0
	1968		39	10,48,011	11,19,936	93.6		17488.71	58.8
	1969		35	9,29,054	9,95,473	93.3	9466.18	16428.58	57.6
					5,50,170	50.0	3100.10	. 10120.00	07.0
vi)	1 करोड़ रुपये य								
	1961		214	3,60,052	4,18,117	86.1	1756.20	3763.70	46.7
	1962		203	3,68,360	4,24,862	86.7	1823.61	. 3913.47	46.5
	1963		191	3,36,401	3,88,630	86.6	1582.94	3360.00	47.1
	1964		138	2,51,218	2,94,166	85.4	1251.60	2857.08	43.8
	1965		43	1,28,655	1,51,076	85.2	642.37	1483.31	43.3
	1966		28	81,280	97,106	83.7	444.72	1071.98	41.5
	1967		19	60,923	71,581	85.1	296.02	754.62	39.2
	1968		13	46,204	47,849	96.6	304.03	430.51	70.6
	1969		12	50,092	51,886	96.5	341.53	473.11	72.2
							0.11.00	170.11	74.4
	जोड़								
	1961	• •	285	55,41,652	70,58,448	78.5	39231.81	169374.77	23.1
	1962		273	59,77,420	77,03,548	77.6	44800.16	189527.29	23.6
	1963		260	66,52,066	85,86,932	77.5	50016.29	210677.90	23.7
	1964		204	76,26,226	98,37,176	77.5	57436.65	243728.65	23.6
	1965		117	88,97,805	1,15,75,916	76.9	69062.11	274394.44	25.2
	1966		103	1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	82429.31	. 323631.29	25.5
	1967		93	1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	94291.10	360349.47	26.2
	1968		88	1,59,52,273	1,75,47,550		202278.66	401187.69	
	1969	• •	86	1,86,09,051	2,05,01,104		237405.06		50.4
	1303	• •	00	1,00,03,031	4,00,01,104	30.0	43/403.00	467008.30	50.8

परिज्ञिष्ट III

जमा बीमा निगम

कोन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में 31 दिसंबर 1969 तक किये गये निवेशों का व्यौरा

	. 7.	ग्रंकित मूल्य	वही-मूल्य	दर 0/	वाजार मूल्य
		্ হ. (1)	(2)	रु. % (3)	(4)
नमाबीमानिधि:					
4½% 1971	* *	2,60,10,000.00	2,58,63,482.80	100.80	2,62,18,080.00
5% 1982	• •	1,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.10	1,33,29,155.00
5½% 1990		1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
5½% 1999		10,04,42,600.00	10,07,09,384.00	100.35	10,07,94,149.10
		13,96,77,600.00	13,99,01,816.82		14,05,17,334.10
मूल्य ह्नास के लिए व्यव	स्थाः घ र	गइये	5,50,000.00		14.7
			13,93,51,816.82		
सामान्य निधि :		47.7			
		-			
		75 000 00	65 797 50	00 25	74 437 50
3 % 1970-75		75,000.00	65,787.50	99.25	74,437.50 24 53 750 00
3 % 1970-75 3¾% 1974	••	25,00,000.00	24,88,750.00	98.15	24,53,750.00
3 % 1970-75 3¾% 1974 4 % 1972		25,00,000.00 1,05,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50	98.15 99.80	24,53,750.00 1,04,790.00
3 % 1970-75 3¾% 1974 4 % 1972 4 % 1981	•••	25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00	98.15 99.80 96.25	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00
3 % 1970-75 3¾% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4¼% 1972	•••	25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00	98.15 99.80 96.25 100.50	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00
3 % 1970-75 3¼% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4¼% 1972 4¼% 1973	•••	25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 30,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00
3 % 1970-75 3½% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4½% 1972 4½% 1973 4½% 1971		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 30,000.00 10,75,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00
3 % 1970-75 3¼% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4¼% 1972 4¼% 1973 4½% 1971 4½% 1985	•••	25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 30,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 99.00	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00 99,000.00
3 % 1970-75 3½% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4½% 1972 4½% 1973 4½% 1971 4½% 1985 4½% 1986		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 30,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00 1,00,000.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 100.80 99.00 98.75	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00 99,000.00 98,750.00
3 % 1970-75 3½% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4½% 1972 4½% 1973 4½% 1985 4½% 1986 4½% 1972		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 30,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00 1,00,000.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 100.80 99.00 98.75 102.15	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00 99,000.00 98,750.00 1,02,150.00
3 % 1970-75 3\(\frac{3}{4}\)% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4\(\frac{1}{4}\)% 1972 4\(\frac{1}{4}\)% 1973 4\(\frac{1}{2}\)% 1985 4\(\frac{1}{4}\)% 1986 4\(\frac{3}{4}\)% 1972 4\(\frac{3}{4}\)% 1989		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 2,20,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00 1,00,000.00 2,19,125.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 100.80 99.00 98.75 102.15 98.90	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00 99,000.00 98,750.00 1,02,150.00 2,17,580.00
3 % 1970-75 3\frac{2}{3}\cdot 1974 4 % 1972 4 % 1981 4\frac{1}{4}\cdot 1972 4\frac{1}{4}\cdot 1973 4\frac{1}{2}\cdot 1985 4\frac{1}{2}\cdot 1986 4\frac{2}{4}\cdot 1972 4\frac{2}{4}\cdot 1989 5 % 1982		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 2,20,000.00 15,00,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00 1,00,000.00 2,19,125.00 15,00,000.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 100.80 99.00 98.75 102.15 98.90 102.10	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00 99,000.00 98,750.00 1,02,150.00 2,17,580.00 15,31,500.00
3 % 1970-75 3\(\frac{3}{4}\)% 1974 4 % 1972 4 % 1981 4\(\frac{1}{4}\)% 1972 4\(\frac{1}{4}\)% 1973 4\(\frac{1}{2}\)% 1985 4\(\frac{1}{4}\)% 1986 4\(\frac{3}{4}\)% 1972 4\(\frac{3}{4}\)% 1989		25,00,000.00 1,05,000.00 25,00,000.00 1,00,000.00 10,75,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 2,20,000.00	24,88,750.00 1,02,962.50 24,62,500.00 1,00,000.00 30,000.00 10,69,625.00 1,00,075.00 1,00,000.00 2,19,125.00	98.15 99.80 96.25 100.50 100.80 100.80 99.00 98.75 102.15 98.90	24,53,750.00 1,04,790.00 24,06,250.00 1,00,500.00 30,240.00 10,83,600.00

परिशिष्ट IV 31-12-1969 तक भुगतान ग्रथवा व्यवस्था किये गये दावे ग्रीर प्राप्त प्रतिपूर्ति

(रुपये लाखों में) जमाकर्ताग्रों पहले ही ग्रदावी रहनेवाली भगतान ग्रथवा की सूची के ऐसी बीमाकृत व्यवस्था की गई भगतान की वैंक का नाम ग्रन्सार दावों के गई बीमाकृत जमा-राशियाँ कुल बीमाकृत जमा-राशियाँ पूरे भगतान के जिनके लिए जमा-राशियाँ व्यवस्था की लिए पहले प्रेषण की तारीख गई है। 2 3 4 5 1962 1963 (i) बैंक ग्रॉफ़ चाइना 27-4-1963 6.43 2.82* 9.25 यनिटी बैंक लि., मद्रास 2.52 2.54 (ii) 13-9-1963 0.02 (iii) बैंक ग्रॉफ़ ग्रलगापूरी लि.... 24-12-1963 0.28 0.28 ग्रलगापुरी (E. 43) 1964 12.07 9.23 2.84 मेट्रोपॉलिटन बैंक लि., (iv) 6-5-1964 8.74 0.06 8.80 कोचिन नायर बैंक लि., त्रिचर 3-6-1964 7.04 0.06 7.10 (v) लेटिन किश्चियन बैंक लि.... 19-11-1964 2.08 2.08 (vi) एर्गाकुलम (₹. 201) (vii) उन्नाव कर्माशयल बैंक लि., 26-11-1964 1.06 0.02 1.08 सदर्न बैंक लि., कलकत्ता 12-12-1964 7.28 (viii) 0.06 7.34 26.20 0.20 26,40 1965 श्री जदेया शंकरलिंग बैंक (ix)लि.. बीजापर 1-2-1965 0.12 0.12 1966 नेशनल बैंक श्रॉफ़ पाकिस्तान (\mathbf{x}) 20-9-1966 0.99 कलकत्ता 0.99 हबीब बैंक लि., बंबई 5-10-1966 15.73 1.54* 17.27 (xi) 16.72 1.54 18.26 1967 1968 1969 चावला बैंक लि., देहरादुन 13-10-1969 0.18 (xii) 0.18 (v. 2.65) जोड 52.45 4.58 57.03 वर्ष के ग्रंत तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति : घटाइये 31.37 4.35 35.72 21.08 0.23 21.31

14

^{*2.82} लाख रुपये तथा 1.54 लाख रुपये के ग्राँकड़ों में पता लग सकनेवाले जमाकर्ताग्रों के क्रमश: 0.30 लाख रुपयों ग्रौर 0.01 लाख रुपयों के ऐसे दावे शामिल हैं जिनका संवितरए। होना है ।

टिप्पणी:—ऊपर दी गयी दावों की रकमें निम्नलिखित मामलों के बाबत समायोजन करके निकाली गयी हैं:—
(i) जिन मामलों में यह मालूम हुम्रा कि एक ही जमाकर्ता के नाम एक सी हैसियत ग्रौर ग्रधिकार में एक से ग्रधिक जमा खाते थे; (ii) जिन मामलों में एक से ग्रधिक जमाखाते एक ही जमाकर्ता के नाम एक सी हैसियत ग्रौर ग्रधिकार में मान लिए गये थे परंतु बाद में पता चला कि वे एक ही जमाकर्ता के कब्जे में नहीं थे; (iii) कुछ जमाखातों के ग्रधिशेषों का पुनर्निर्माण ग्रौर (iv) कुछ ऐसे जमाकर्ताग्रों के मामलों में किये गये भुगतान जिनका मूलतः पता नहीं लग सका परंतु जिन्होंने बाद में ग्रपने दावे पेश किये हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने जमा बीमा निगम के 31 दिसंबर 1969 तक के संलग्न तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा कर ली है। इसमें उक्त तारीख को क्रमशः जमा बीमा निधि तथा सामान्य निधि की स्थिति दिखाई गई है। हमने उक्त तुलन-पत्र के साथ लगे, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त दोनों निधियों की ग्राय ग्रौर उनके व्यय को दर्शानेवाले ग्राय-व्यय लेखे की भी लेखा परीक्षा कर ली है। हम उक्त तुलन-पत्र तथा लेखे के बारे में नीचे लिखे ग्रनुसार ग्रपनी रिपोर्ट देते हैं:—

- (1) हमने लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ग्रावश्यक सारी जानकारी ग्रौर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ग्रौर वे सन्तोपजनक हैं।
- (2) हमारी राय में ग्रौर जहाँ तक हमारी जानकारी है ग्रौर जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके ग्रनुसार उक्त तुलन-पत्र पूर्ण ग्रौर सही तुलन-पत्र है ग्रौर वह सभी ग्रावश्यक विवरण देते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे 31 दिसंबर 1969 को निगम के कारोबार की स्थित का सही चित्र सामने ग्रा सके ग्रौर उक्त तुलनपत्र जमा बीमा निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 की ग्रपेक्षाग्रों के ग्रनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है।

वंबई

के. एस अय्यर एण्ड कं.

20 मार्च 1970

सनदी लेखापाल

जमा बीमां (जमा बीमां (जमा बीमां विनयम ग्रिधिनियम, विनियम 18 अर्थ विनयम 18 विनयम 18 कारोबार समाप्त

देयताएँ	रु. पै	. रु. पै.
।. निधि:		
वर्ष के स्रारंभ में शेष	11,13,49,413.7	70
जोड़ियं: वर्ष के दौरान निधि मं हुग्रा शुद्ध उपचय जिसका ग्राय-व्यय लेखे से ग्रंतररा किया गया ।	3,00,97,843.4	.7
वर्ष के ग्रंत में शेष		14,14,47,257.17
 रिजर्व बैंक भ्रॉफ़ इंडिया से लिये गये ग्रिप्रम (जमा-बीमा निगम ग्रिध- नियम की धारा 26) 		_
3. सामान्य निधि से लिये गये अग्रिम (जमा बीमा निगम अधिनियम की धारा 27)	e e	_
रे. श्रदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा राशियाँ (दुतरफा) (ग्रनुवंध II के ग्रनुसार)		4,57,297.21
. बीमाकृत बैंकों के रूप में जिन बैंकों की रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी बीमाकृत जमा-राशियाँ (दुंतरफ़ा)		
. ग्रन्य देयताएँ :— वैंकों को वापस की जानेवाली ग्रधिक वीमा किस्त की राशि		1,02,885.54
	*	
		14,20,07,439.92
3	. निधि: वर्ष के आरंभ में शेष जोड़िये: वर्ष के दौरान निधि में हुआ शुद्ध उपचय जिसका आय-व्यय लेखे से अंतरण किया गया। वर्ष के अंत में शेष रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से लिये गये प्रिप्तम (जमा-वीमा निगम अधि- नियम की धारा 26) सामान्य निधि से लिये गये अग्रिम (जमा वीमा निगम अधिनियम की धारा 27) अदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा राशियाँ (दुतरफा) (अनुवंध II के अनुसार) वीमाकृत वैंकों के रूप में जिन वैंकों की रिजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी वीमाकृत जमा-राशियाँ (दुंतरफा) अन्य देयताएँ:— वैंकों को वापस की जानेवाली अधिक	वर्ष के ग्रारंभ में शेष जोड़िये: वर्ष के दौरान निधि में हुग्रा शुद्ध उपचय जिसका ग्राय-व्यय लेखे से ग्रंतरण किया गया। उ,00,97,843.4 वर्ष के ग्रंत में शेष रिजर्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया से लिये गये ग्रिप्तम (जमा-बीमा निगम ग्रधि- नियम की धारा 26) सामान्य निधि से लिये गये ग्रिप्तम (जमा वीमा निगम ग्रधिनियम की धारा 27) ग्रदावी रहनेवाली बीमाकृत जमा राशियाँ (दुतरफा) (ग्रनुबंध II के ग्रनुसार) बीमाकृत वैंकों के रूप में जिन बैंकों की रिजस्ट्री रद्द कर दी गयी है उनकी वीमाकृत जमा-राशियाँ (दुंतरफ़ा) ग्रन्य देयताएँ:—— वैंकों को वापस की जानेवाली ग्रधिक

नोट : वैंकिंग विनियमन ग्रिधिनियम, 1949 की धारा 45 के ग्रिधीन हाल ही में स्टेट वैंक ग्रॉफ़ इंडिया में समामेलित किये गये वैंक ग्रॉफ़ विहार लि., की वीमाकृत जमा-राशियों के दावों की रकम का ग्रनुमान लगभग 60लाख रुपये लगाया गया है। वंबई, 20 मार्च 1970 इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के ग्रनुसार

के एस. अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखापाल

निगम
1961 के ग्रधीन स्थापित)
फ़ार्म 'क'
होने के समय का तुलन-पत्र
बीमा निधि

31 दिसंवर 1968 को रु. पै.	आस्तियाँ	रु. पै.	₹. पै.
10,413.80	1. रिज़र्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया के पास शेष		10,133.99
	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में		1
	निवेश (ऋयमूल्य पर मूल्य ह्रास के	1.1 1/1	
	लिए 5,50,000 रु. की व्यवस्था		
10,92,52,342.82	घटाने के बाद)	(A. 4)	13,93,51,816.82
	(ग्रंकित मूल्य रु. 13,96,77,600.00)		
	(बाजार मूल्य रु. 14,05,17,334.10)		10.06.050.51
18,31,929.60	3. निवेशों पर प्रोद्भूत व्याज 4. पहले ही ग्रदा की गई वीमाकृत जमा-		18,26,959.51
•	पर पहल हा अदा का गई वामाकृत जमान राशियों के लिए जमाकर्ताओं के		
20,90,935.78	प्रत्यासीन दाव	21,09,187.77	
20,30,333.70	वटाइये: ग्रनुमानित बीमा हानि के	21,03,107.77	
	लिए व्यवस्था (ग्रनुबंध I		
13,35,704.00	के अनुसार)	14,86,608.00	
7,55,231.78	1 2 ((111)		6,22,579.77
7,55,251.70	5. (क) ग्रदावी रहनेवाली बीमाकृत	1	0,22,373.77
	जमा-राशियों के लिए जमाकर्ताग्रों	2012	
	के प्रत्यासीन दावे (दुतरफा)		
6,69,477.46	ह. 4,57,297.21		
0,00,177.10	घटाइये : अद्यतन प्राप्त		
6,47,254.99	हुई प्रतिपूर्ति रु. 4,35,072.09	22,225.12	
22,222.47	3,9	. 1	
44,444.17	(ख) जिन वैंकों की बीमाकृत बैंकों	USB 20 0	
	के रूप में रजिस्ट्री रद्द कर दी गयी है		
	उनकी वीमाकृत जमा-राशियों के		
	लिए जमाकर्ताभ्रों के प्रत्यासीन दावे		
-	(दुतरफा)		
22,222.47	. (3)	22,225.12	
,	घटाइये: ग्रनुमानित बीमा हानि के		
14,296.00	लिए व्यवस्था	13,392.00	
7,926.47			8,833.12
7,020.17	6. ग्रन्य ग्रास्तियाँ		,
	वैंकों द्वारा देय वीमाकिस्त की बकाया		
1,97,850.55	राशि .	1,77,763.83	
2,01,000.00	ग्रिधिनियम की धारा 17(2) के		
	ग्रधीन किए गए दावों के लिए ग्रदा		
	की गई रकम जिसका संवितरए।		
9,352.88	नहीं हुग्रा	9,352.88	
2,07,203.43			1,87,116.71
11,20,65,047.90	r pro-		14,20,07,439.99
11,40,00,017.00	-		

एम. जे. अम्बानी मैनेजर बंबई, 18 मार्च 1970 आर. के. शेषादि कार्यकारी निदेशक लक्ष्मी कान्त झा बी. एन. अडारकर पी. के. घोष

ग्रध्यक्ष

जमा बीमा
(जमा बीमा निगम ग्रिधिनियम,
विनियम 18——
31 दिसंबर 1969 को कारोबार बन्द
II—सामान्य

31 दिसंबर 1968 को रु. पै.	देयताएँ	रु. पै.	रु. पै.
1,00,00,000.00	1. पूंजी		1,00,00,000.00
	जमा बीमा निगम ग्रधिनियम की धारा 4 के ग्रधीन रिज़र्व बैंक ग्रॉफ़ इंडिया द्वारा दी गई		an and an
	2. रक्षित निधियाँ		
8,14,090.55	सामान्य रक्षित निधियाँ	10,52,593.44	,
6,10,000.00	निवेश की रक्षित निधियाँ	6,10,000.00	
_	ग्रन्य रक्षित निधियाँ		
14,24,090.55			16,62,593.44
	3. वर्तमान देयताएँ और व्यवस्थाएँ		
_	कर्मचारी भविष्य निधि	_	
_	कर्मचारी उपदान निधि	. —	
	ग्रन्य देयताएँ :		
26,969.97	वकाया खर्चे	35,836.16	
26,969.97			35,836.16
1,14,51,060.52			1,16,98,429.60

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के ग्रनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं.

सनदी लेखापाल

वंबई, 20 मार्च 1970

निगम

1961 के ग्रधीन स्थापित)

फ़ार्म 'क'

होने के समय का तुलन-पत्र

निधि

31 दिसम्बर 1968 को रु. पै.	आस्तियाँ	₹.	पै.	₹.	पै .
	1. नकदी				
81.93	(1) हाथ में	•	92.20	,	
3,477.37	(2) रिज़र्व वैंक ग्रॉफ़ इंडिया के पास		24,402.19		24,494.39
3,559.30	*10				24,434.33
1,12,48,142.50 1,13,15,000.00 1,12,09,130.00	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत मूल्य पर) (ग्रंकित भूल्य रु. 1,15,31,400.00) (वाजार मूल्य रु. 1,14,42,144.90)	, i -		1,14,	71,823.50
1,82,416.30	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज			1,	85,416.93
	 जमा बीमा निधि को दिए गये अग्रिम, यदि कोई हो (जमा बीमा निगम ग्रिधिनियम की धारा 27 देखिये) अन्य आस्तियाँ 	2 1			
10,685.91 1,428.51 162.20 4,153.00 512.80	मूल्यह्रास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार ग्रौर उपस्कर स्टेशनरी का स्टॉक मूल्यह्रास घटाकर पुस्तकालय की पुस्तकें 'ग्रपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के ग्रधीन दी गई जमा पूर्वदत्त खर्चे		10,282.21 1,682.13 208.00 3,903.00 619.44		
16,942.42					16,694.78
1,14,51,060.52	-			1,1	6,98,429.60

एम. जे. अम्बानी मैनेजर बंबई, 18 मार्च 1970 आर. के. शेषाद्रि कार्यकारी निदेशक लक्ष्मी कांत झा बी. एन. अडारकर पी. के. घोष

ग्रध्यक्ष निदेशक

(फ़ार्म 21 6 ं - 1060 - रे राजार

जमा बीमा

I-31 दिसंबर 1969 को समाप्त

पिछला वर्ष रु. पै.	ब्यय	रु. पै.	ह. पै.
	बीमा हानियों के बाबत :		- *
_	(क) वर्षं के दौरान बट्टे खाते डाले गए दावे		
13,50,000.00	(ख) वर्ष के ग्रंत में ग्रनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	15,00,000.00	
13,50,000.00		15,00,000.00	
	(ग) घटाइये :	1 7 1	
12,00,000.00	वर्ष के ग्रारंभ में ग्रनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था	13,50,000.00	1,50,000.00
1,50,000.00			1,30,000.00
_	रिजर्व बैंक भ्रॉफ़ इंडिया से श्रग्निमों पर व्याज (जमा बीमा निगम ग्रधिनियम की धारा 26)		_
	सामान्य निधि से लिए गए श्रग्निमों पर व्याज (जमा बीमा निगम श्रधिनियम की धारा 27)	*	
2,54,12,666.46	निधि को ग्रंतरित वास्तविक उपचय		3,00,97,843.47
2,55,62,666.46			3,02,47,843.47

वंबई, 20 मार्च 1970

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के ग्रनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखापाल

निगम

(ख)

हुए वर्ष के लिए ग्राय-व्यय लेखा (जमा बीमा निधि)

पिछला वर्ष रु. पै.	आय	रु. पै.	रु. पै.
1,99,86,607.55 55,76,058.91	त्रीमा किस्तों से (व्याज को मिलाकर) निवेशों से ग्राय		2,30,72,864.73 71,74,978.74
	,		71,71,576.71
			*
- , - ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2,55,62,666.46			3,02,47,843.47

एम. जे. अम्बानी मैनेजर बंबई, 18 मार्च 1970 आर. के. शेषादि कार्यकारी निदेशक लक्ष्मी कान्त झा बी. एन. अडारकर पी. के. घोष

ग्रध्यक्ष

निदेशक

(फ़ार्म II—31 दिसंबर 1969 को समाप्त

जमा बीमा

पिछला वर्ष	्य <u>य</u>	<u>ξ.</u>	Ů .
ह. पै.	944	4.	
ν. 1.			
2,50,015.41	वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि में ग्रंशदान		2,35,890.24
11,439.06	कर्मचारी पेंशन ग्रौर उपदान निधि में ग्रंशदान	1	10,625.28
1,250.00	निदेशकों भ्रौर समिति के सदस्यों की फ़ीस		1,350.00
8,329.70	निदेशकों स्रौर समिति के सदस्यों के यात्रा स्रौर स्रन्य भत्ते		8,124.00
38,268.64	किराया, कर, बीमा, प्रकाश ग्रादि		37,933.84
_	स्थापना—यात्रा एवं विराम भत्ते	1	1,119.85
5,787.28	छपाई ग्रौर लेखन सामग्री		5,221.48
2,702.09	डाक, तार ग्रौर टेलीफ़ोन	ł	2,473.20
2,000.00	लेखा परीक्षकों की फ़ीस	1	2,500.00
2,025.68	विधि प्रभार	1	252.00
17,403.20	विविध खर्च		5,986.02
2,138.34	मूल्यह्रास	١,	1,887.76
1,57,683.92	व्यय की तुलना में स्राय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	1	2,38,502.89
4,99,043.32			5,51,866.56
2,00,010.02			7,0 2,0 0 0 10 0
			1
1,57,683.92	सामान्य निधि को ग्रंतरित	2	2,38,502.89
			= =
_	म्रन्य रक्षित निधियों को म्रंतरित		
	निवेश रक्षित निधि को ग्रंतरित		
1,57,683.92		0	,38,502.89
1,57,005.92		4	,50,504.69

वंबई, 20 मार्च 1970

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के ग्रनुसार

के. एस. अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखापाल

निगम

ख)

हुए वर्ष के लिए ग्राय-व्यय लेखा (सामान्य निधि)

आय	रु. पै.
निवेशों से ग्राय	5,51,843.22
जमा वीमा निधि को दिये गए ग्रग्निम पर व्याज	
विविध प्राप्तियाँ	23.34
***************************************	APX
	Transfer of
	7 111
	E E 1 000 E G
4.50	5,51,866.56
व्यय की तुलना में स्राय की वृद्धि का शेष जो नीचे लाया गया	2,38,502.89
V 100 1 1 2 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,38,502.89
	निवेशों से ग्राय जमा वीमा निधि को दिये गए ग्रग्निम पर व्याज विविध प्राप्तियाँ

एम. जे. अम्बानी मैनेजर बंबई, 18 मार्च 1970 आर. के. शेषाद्रि कार्यकारी निदेशक लक्ष्मी कान्त झा बी. एन. अडारकर ो पी. के. घोष

ग्रध्यक्ष

निदेशक

अनुबन्ध I

जमाकर्तास्रों के प्रत्यासीन (Subrogated) दावे

पिछले वर्ष के ग्रंत तक ग्रदा की गई कुल रकम (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को ग्रंतरित किए	रु. पै.	रु. पै.
गए 2,12,182.90 रुपयों को जोड़कर श्रौर निगम को इस वर्ष के दौरान लौटाए गए 15.32 रुपयों को घटाकर) घटाइये :		52,27,689.27
(i) पिछले वर्ष के ग्रंत तक प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ (पता न लगाए जा सकनेवाले खातों से पता लगाए जा सकनेवाले खातों को ग्रंतरित किए गए 2,12,182.90 रुपयों को जोड़कर		
स्रौर उपरोक्त 15.32 रुपयों की धन-वापसी में से किए गए समायोजन के 6.13 रुपयों को घटाकर)	31,36,762.68	
 (ii) पिछले वर्ष के ग्रंत तक बट्टे खाते डाले गए दावे (iii) पिछले वर्ष के ग्रंत तक की ग्रनुमानित हानियों के लिए व्यवस्था 	कुछ नहीं 13,35,704.00	
		44,72,466.68
अनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के ग्रारंभ में ग्रदा की गई वास्तविक रकम जोड़िये : वर्ष के दौरान ग्रदा की गई बीमाकृत जमा-राशियाँ		7,55,222.59 18,261.18
घटाइये : (i) वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ	 सक नहीं	7,73,483.77
 (ii) वर्ष के दौरान बट्टे खाते डोले गए दावे (iii) वर्ष के दौरान ग्रनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था (इसमें ग्रदावी जमा-राशियों की ग्रनु- 	कुछ नहीं कुछ नहीं	
मानित होनि की व्यवस्था के लिए ग्रंतरित रु. 904 भी शामिल हैं)	1,50,904.00	1,50,904.00
ग्रनुमानित हानियों के लिए की गई व्यवस्था को घटाकर वर्ष के ग्रंत तक ग्रदा की गई वास्तविक रकम		6,22,579.77
	-	
अमुबन्ध 🎞		
31 दिसंबर 1969 को ग्रदावी रहनेवाली	बीमाकृत जमा-राशियाँ	7 1 1 1
वर्ष के ग्रारंभ में बकाया राशि	*	रु. पै. 6,69,477.46
जोड़िये: वर्ष के दौरान पेश की गई परंतु ग्रदावी रहनेवाली बीमाकृत ज	मा-राशियों की रकम	2.65
घटाइये: वर्ष के दौरान पेश किए गए ग्रौर ग्रदा किये गये दावों की रक	म (यह रकम चीनी	6,69,480.11
जमाकर्तात्रों के दावों के लिए शत्रु-संपत्ति परिरक्षक को ग्रदा की	गई थी)	2,12,182.90
वर्ष के ग्रंत में ग्रदावी रहनेवाली कुल वीमाकृत जमा-राशियाँ		4,57,297.21

DEPOSITION INSURANCE CORPORATION

ESTABLISHED BY ACT OF PARLIAMENT





Every depositor is guaranteed repayment of his deposits upto Rs. 10,000/- in each insured bank

EIGHTH ANNUAL REPORT

DIRECTORS' REPORT, BALANCE SHEET AND ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 1969

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BOARD OF DIRECTORS

SHRI L. K. JHA Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

DIRECTORS

SHRI B. N. ADARKAR Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

Director,

SHRI D. N. GHOSH
Deputy Secretary, Ministry of Finance,
Department of Banking,
Government of India.

SHRI P. K. GHOSH

SHRI V. H. VORA

EXECUTIVE DIRECTOR

SHRI R. K. SESHADRI

MANAGER

BANKERS

AUDITORS

SHRI M. J. AMBANI

Reserve Bank of India

Messrs. K. S. Aiyar & Co., Chartered Accountants, 49, Apollo Street, Bombay-1.

REGISTERED OFFICE

Vidyut Bhavan,
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,
Post Bag No. 2810,
Bombay-2.

LETTER OF TRANSMITTAL

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Vidyut Bhavan,
Pathakwadi, Opposite G. T. Hospital,
Post Bag No. 2810,
BOMBAY-2.

367/DIC. 50B-70.

31st March, 1970

Chaitra 10, 1892 (Saka)

The Secretary, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents:—

(1) The Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31st December 1969 together with the Auditors' Report;

and

(2) The Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1969.

Yours faithfully,

M. J. AMBANI

Manager.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION DURING THE YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER 1969

The Board of Directors hereby presents, in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, the Eighth Annual Report on the working of the Corporation during the year ended the 31st December 1969.

At the commencement of the year 1969, the number of commercial banks registered with the Corporation as insured banks stood at 88. In the course of the year, the registration of 3 insured banks was cancelled under section 13 of the Deposit Insurance Corporation Act,
 Insured 1961 as a result of amalgamation with or transfer of assets and liabilities to other insured banks. Particulars of banks the registration of which was cancelled during the year, are given below:-

	Name of insured bank	:		Reason for cancellation of registration	Date of cancella- tion of registration	Assessable deposits as on the date of deregistratio	bank
						(In lakhs of rupces)	
1.	Chawla Bank Ltd			Amalgamation	23-6-1969	3.46	New Bank of India Ltd.
2.	Bank of Karaikudi Ltd.	••		Transfer of liabilities and equivalent assets	31-10-1969	88.43	Bank of Madura Ltd.
3.	Bank of Behar Ltd.	• •	••	Amalgamation	8-11-1969	1556.27	State Bank of India

There were thus 85 insured banks registered with the Corporation as at the close of the year (vide Appendix I).

- 3. Since the establishment of the Corporation in January 1962, the registration of 204 banks has been cancelled. The Corporation's liability has been attracted, however, only in 13 cases. In respect of the other 191 banks, the Corporation did not find it necessary to make any payments, as the liabilities to the depositors in full were transferred to other banks or were discharged by the banks themselves.
- 4. The table below indicates the reduction in the number of insured banks from year to year.

	NI-	of maniatamad	No.	OF BANKS DEREGISTE	RED '	No of posistand
Year	ba	o. of registered anks as at the Total Where Corporation's ommencement of the year			No. of registered banks as at the close of the year	
1		2	3	was attracted	was not attracted 5	6
1962	 	287	11	2	9	276
1963	 	276	26	1	25	250
1964	 	250	94	6	88	157@
1965	 	157	48	-	48	109
1966	 	109	10	2	8	100@
1967	 	100	9	_	9	91
1968	 	91	3	_	3	88
1969	 ••	88	3	2	1	85
			204	13	191	

[@] After taking into account one bank which started functioning during the year.

- 5. The assessable deposits of all the 204 banks when their registration was cancelled amounted to Rs. 71.29 crores, of which those of 13 banks in the case of which the Corporation's liability arose, amounted to Rs. 21.13 crores. The Corporation's liability in the case of 12 banks worked out to Rs. 57.03 lakhs while its liability in respect of one bank had not yet been ascertained at the end of the year.
- 6. Under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 (since replaced by an Ordinance), 14 statutory corporations were established, corresponding to the existing banks, the business and undertakings of which were acquired under the Act with effect from the 19th July 1969. As the Act provided for the continuance of the status of the corresponding new banks as insured banks, the intimations of registration of the 14 nationalised banks issued to them in 1962 under section 14 of the Deposit Insurance Corporation Act were called back and after incorporating therein, the names of the corresponding new banks in pursuance of section 20 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, they were returned to the banks concerned. The names of the corresponding new banks are shown in Appendix I by an asterisk.
- 7. The scheme of deposit insurance as it is now in force does not, in terms of section 2(g) of the Act, cover deposits of foreign Governments, the Central Government, a State Government or a commercial bank. Deposits in these categories are, therefore, not insured by the Corporation and are not also assessable for the purposes of the premium payable by the insured banks. Deposits of autonomous or statutory bodies, quasi-Government bodies or local authorities, public undertakings and Corporations, etc. are, however, insured and are assessable to premium.
- 8. Information regarding the non-insurable deposits of the banks as at the end of each year from 1961 to 1969 is furnished in the table below:

								(In cro	res of rupees)
As on t Frida Dece				Deposits from Foreign, Central and State Governments 2	Deposits from Commercial Banks	Total of non-insurable deposits (Col. 2+3)	Insurable deposits	Total deposits	% of (4) to (6)
196	61			207.55	92.30	299.85	1693.75	1993.60	15.0
196	62	••		193.81	64.98	258.79	1899.17	2157.96	12.0
196	63			163.48	68.84	232.32	2159.51	2391.83	9.7
196	64		·!	122.78	72.84	195.62	2471.51	2667.13	7.3
196	65			101.60	106.99	208.59	2860.77	3069.36	6.8
196	56	••	• • •	88.07	137.94	226.01	3369.48	3595.49	6.3
	57			103.47	125.69	229.16	3745.59	3974.75	5.8
196	58	••		119.32	129.09	248.41	4203.78	4452.19	5.6
196	59	• •	٠.,	133.89	118.95	252.84	4859.60	5112.44	4.9

It will be seen that the percentage of non-insurable deposits to total deposits in insured banks has declined steadily from 15.0 in 1961 to 4.9 in 1969.

9. The limit of insurance cover in respect of all the unpaid balances due to a depositor held in a bank in the same capacity and in the same right, which was raised to Rs. 5,000 with effect from the 1st January 1968, remained unchanged during the period under report.

Insurance

The rate of premium at 5 paise per annum payable by insured banks for every cover and rate hundred rupees of their assessable deposits also remained unchanged.

10. Some particulars regarding the total volume of assessable and insured deposits are furnished in the table below.

(Amounts in crores of rupees)

As on the last Friday of	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1,500 till 1967 and Rs. 5,000	Total No. of accounts	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits (i.e. amounts up to Rs. 1,500 in all accounts till 1967 and up to Rs. 5,000 thereafter)	Total amount of deposits assessable to premium	Percentage of (5) to (6)
1	thereafter) 2	3	4	5	6	7
December, 1961	 55,41,625	70,58,448	78.5	392.32	1,693.75	23.1
September, 1962	 59,77,420	77,03,548	77.6	448.00	1,895.27	23.6
September, 1963	 66,52,066	85,86,932	77.5	500.16	2,106.78	23.7
September, 1964	 76,26,226	98,37,176	77.5	574.37	2,437.29	23.6
September, 1965	 88,97,805	1,15,75,916	76.9	690.62	2,743.94	25.2
September, 1966	 1,03,64,153	1,35,63,618	76.4	824.29	3,236.31	25.5
September, 1967	 1,18,66,532	1,55,25,841	76.4	942.91	3,603.49	26.2
September, 1968	 1,59,52,273	1,75,47,550	90.9	2,022.79	4,011.88	50.4
September, 1969	 1,86,09,051	2,05,01,104	90.8	2,374.05	4,670.08	50.8

(Charts I and II)

11. It will be seen that the total amount of deposits assessable to premium rose progressively during the period 1961-69. The percentage of the insured deposits to total assessable deposits which had increased sharply from 26.2 in 1967 to 50.4

Insured in 1968 due to the increase in the limit of insurance cover from Rs. 1,500 to Rs. 5,000 per depositor with effect from the 1st January 1968, showed a further increase to 50.8 in 1969. The percentage of fully protected deposit accounts to the total number of deposit accounts which had increased from 76.4 in 1967 to 90.9 in 1968 for the reason stated above declined slightly to 90.8 in 1969. The deposits in fully protected and partially protected accounts form 30.6% and 69.4%, respectively of the total assessable deposits (Chart III). Although the total deposits of commercial banks have shown a steady growth, they form only 15.9% of the estimated national income as compared to 88% in Japan, 66.2% in Australia, 49.5% in U.S.A., 47.7% in Canada and 36% in U.K. (Chart IV).

- 12. A more detailed analysis of figures, according to the size of the insured banks, is furnished in Appendix II. At the end of September 1969, 89.0% of the fully protected accounts and 91.3% of the insured deposits were in banks having deposits of Rs. 25 crores and over. However, the proportion of accounts as well as of deposits fully covered by insurance tended to be higher in the case of smaller sized banks as compared to those of larger size. The proportion of fully protected accounts to the total number of accounts varied from 89.9 per cent to 93.3 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 25 crores and over, while it was 96.5 per cent in the case of banks with assessable deposits of Rs. 1 crore or less. The extent of cover expressed as a percentage of insured deposits to total assessable deposits varied from 45.0 per cent to 51.2 per cent. in the case of banks with deposits of Rs. 25 crores and over, while it was as high as 72.2 per cent in the case of banks with deposits of Rs. 1 crore or less.
- 13. The balance sheet and revenue account of the Corporation as at the close of business Balance sheet on the 31st December 1969 are attached, together with the auditors' report thereand revenue on.

 account


14. As a result of the increase in the amount of assessable deposits during 1969, the accretion to the Deposit Insurance Fund during the year was higher at Rs. 300.98 lakhs as compared with Rs. 254.12 lakhs in 1968. The Fund, which amounted to Rs. 1,113.49


Deposit lakhs as at the end of 1968 increased to Rs. 1,414.47 lakhs as at the close of the year 1969. The Fund has been built up by income from insurance premia aggregating Rs. 1,217.63 lakhs and income from investments at Rs. 217.34 lakhs and after providing Rs. 20.50 lakhs for depreciation in investments and for insurance loss. The amounts in the Deposit Insurance Fund and the ratios of the said amounts to the total assessable deposits and insured deposits since 1962 are shown in the table below:


As at the end o	ſ		Amount of the Fund (In lakhs of rupees)	Percentage of assessable deposits	Percentage of insured deposits
1962	•••	 	92.84	0.05	0.20
1963		 	202.70	0.10	0.40
1964		 	320.67	0.13	0.56
1965		 	466.63	0.17	0.68
1966		 	648.29	0.20	0.79
1967		 	859.37	0.24	0.91
1968		 	1,113.49	0.28	0.55
1969		 • •	1,414.47	0.30	0.60

15. The gilt-edged market continued to be steady and in view of the current market quotations of the $5\frac{1}{2}$ % 1992 and 1995 loans, it was decided to sell these loans and to reinvest the proceeds in the $5\frac{1}{2}$ % 1999 loan. The Corporation was able to earn a net profit of Rs. 6.12 lakhs, as a result of this switch without any reduction in the flat or current yields of the Deposit on account of reinvestment of the sale proceeds in the $5\frac{1}{2}$ % 1999 loan. The market value of the investments of the Deposit Insurance Fund as on the 31st December 1969 (Rs. 1,405.17 lakhs) was higher by Rs. 6.15 lakhs than their cost at Rs. 1,399.02 lakhs vide particulars furnished in Appendix III. In view of the appreciation in the market value of investments in the Fund, it was not considered necessary to make any further provision for depreciation out of the revenue for 1969. However, the provision of Rs. 5,50,000 held as on the 31st December 1968 has been retained.

- 16. Under section 26(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961, the Corporation has powers to borrow from the Reserve Bank of India for the purpose of the Deposit Insurance Fund such sums as may be required up to Rs. 5 crores. Under section 27 of the Act *ibid*, the Corporation may transfer from the General Fund such amount as may be necessary to meet the requirements of the Deposit Insurance Fund. The Corporation had, however, no occasion to resort to borrowing during the year either from the Reserve Bank of India or from the General Fund.
- Fund decreased during the year to Rs. 3.13 lakhs as against Rs. 3.41 lakhs in 1968, mainly because, last year's expenses included payments of arrears of Rs. 0.24 lakh on account of the upward revision of emoluments of all categories of staff. The lower expenditure, together with the increase in the income from investments from Rs. 4.99 lakhs to Rs. 5.52 lakhs resulted in a higher surplus of Rs. 2.39 lakhs as against Rs. 1.58 lakhs in 1968.
- 18. The holdings in the General Fund of the $5\frac{1}{2}\%$ 1992 and 1995 loans were sold for the reasons stated in paragraph 15 and the proceeds were reinvested in the $5\frac{1}{2}\%$ 1999 loan. This switch resulted in a net profit of Rs. 0.30 lakh without affecting the current yield on investments. The investments held in the General Fund as at the close of the General Fund as at the close of the year amounted to Rs. 114.72 lakhs at cost. The depreciation in the investments which amounted to Rs. 0.39 lakh at the end of 1968 has been reduced to Rs. 0.30 lakh vide Appendix III because of improvement in the market rates. A sum of Rs. 6.10 lakhs which was already held by the Corporation as on the 31st December 1968, as provision for depreciation on investments in the Fund has, however, been retained.








Note: Limit of Insurance cover has since been raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 with effect from 1 · 4 · 1970.


INSURANCE COVERAGE

TOTAL NUMBER OF INSURED ACCOUNTS IN COMMERCIAL BANKS (SEPTEMBER 1969)



2,05,01,104 ACCOUNTS

TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS IN COMMERCIAL BANKS (SEPTEMBER 1969)




Rs. 46,70,08-30 LAKHS

Increase in fully protected accounts and Deposits in these accounts consequent on the increase in the limit of insurance cover from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 with effect from 1 · 4 · 1970.

CHART IV

DEPOSITS AS PERCENTAGE OF ESTIMATED NATIONAL INCOME - 1968 IN SELECTED COUNTRIES (NATIONAL INCOME = 100)



19. The Corporation's liability for the payment of the insured deposits was attracted during the year in the cases of the Chawla Bank Ltd. and the Bank of Behar Ltd., which were amalgamated under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 with the New Bank of India Ltd. and the State Bank of India respectively. In the case of the Chawla Bank Ltd., the Corporation had to pay or provide for claims to the extent of Rs. 0.18 lakh being the difference between the insured amount and the initial credit of 91% afforded by the transferee bank out of the readily realisable assets taken over by it.

As regards the Bank of Behar Ltd., in consultation with the Corporation, the Reserve Bank of India and the Central Government, the State Bank of India made arrangements to pay the depositors in full on the understanding that the Corporation will reimburse to the State Bank of India, with the amount of the difference between the *pro rata* payment at 91.38% of the balance due out of readily realisable assets under the scheme and the actual insured deposits up to and including Rs. 5,000. The list of depositors required to be submitted to the Corporation by the transferee bank under section 18(1) of the Deposit Insurance Corporation Act, has since been received and is being scrutinised. It is estimated that the Corporation may be required to pay claims to the extent of about Rs. 60 lakhs, but pending the determination of the exact amount, no payment has been made to the State Bank of India.

As a result of the claims met in respect of the Chawla Bank Ltd., the total claims paid or provided for by the Corporation from its inception up to the end of the year increased from Rs. 56.85 lakhs to Rs. 57.03 lakhs. As no repayments were received during the year, the total reimbursements of claims received by the Corporation from the banks remained unchanged at Rs. 35.72 lakhs. The position as at the close of 1969 regarding the claims paid or provided for and the total reimbursements received in the case of 12 banks excluding the Bank of Behar Ltd. is shown in Appendix IV. It will be seen that the net amount which was due to be recovered by the Corporation on account of payments made in respect of these banks amounted to Rs. 21.31 lakhs.

- 20. In pursuance of the decision referred to in the last year's report to pay to the Custodian of Enemy Property the amount received by the Corporation from the Official Liquidator of the Bank of China in respect of claims payable but not paid to Chinese depositors, a sum of Rs. 2.12 lakhs was remitted by the Corporation to the Custodian. Regarding the liability of the Corporation for payment of insured deposits of enemy subjects in the National Bank of Pakistan and the Habib Bank Ltd., payment of which has been prohibited by Government, the matter was still under the consideration of the Government of India.
- 21. The estimated insurance loss in respect of claims paid or provided for was reviewed at the end of the year and the existing provision of Rs. 13.50 lakhs was raised to Rs. 15.00 lakhs.

 The question of raising this amount further, in order to provide for the anticipated losses, if any, on account of the Bank of Behar and any other banks, in relation to which the Corporation's liability may be attracted in future will be considered later, at an appropriate stage, when the necessary details have become available.
- 22. As reported last year, the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 received the assent of the President on the 27th December 1968. Its provisions have not been brought into force, pending enactment of the necessary legislation by the various States so as to make the co-operative banks in the respective States eligible for insurance. Maharashtra has, however, recently amended its Co-operative Societies Act on the lines suggested by the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India is actively pursuing the matter with other State Governments in order to enable the Deposit Insurance Corporation to extend the benefit of the scheme to a reasonably large number of eligible co-operative banks as soon as this may

be practicable.

- 23. As on the 31st December 1969, there were 1,324 co-operative banks of which 930 were primary co-operative banks with paid-up capital and reserves of Rs. I lakh and over, 366 Central Co-operative Banks and 28 State Co-operative Banks. Primary co-operative banks include 283 salary earners' societies. Several of the salary earners' societies which were earlier classified as primary co-operative banks have been re-classified as non-banking societies and have been excluded from the purview of the Banking Regulation Act, on their agreeing not to receive deposits from non-members. Under the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to co-operative banks) all co-operative banks are required to obtain a licence from the Reserve Bank of India to carry on banking business but those in existence on the date on which the Act came into force, viz. the 1st March 1966, are permitted to carry on banking business until they are granted a licence or are informed that a licence cannot be granted to them. Before granting a licence, the Reserve Bank of India carries out inspections of these banks. Till the end of December 1969 licences were issued to only 21 co-operative banks.
- 24. A Working Group under the Chairmanship of Shri S. S. Shiralkar, Additional Secretary, Department of Banking, Government of India ato evolve a comprehensive scheme of insurance to cover the credit risks incurred by lending banks in granting loans to relatively neglected sectors such as retail trade, small business, small farming, self-employed persons, etc. The Working Group submitted its Report on the 15th November 1969 which, inter alia, contains a recommendation that the Deposit Insurance Corporation should be entrusted with the implementation of the credit insurance scheme. The report was under the consideration of Government at the end of the year.
- 25. The term of office of Shri V. H. Vora as a director of the Corporation under clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the Act expired on the 31st December 1969. On the recommendation of the Reserve Bank of India, the Central Government re-nominated him as a director for a period of two years from the 1st January 1970. Subsequently, the Board of Directors re-nominated Shri Vora as a member of the Executive Committee.

 Committee
- 26. The Board of Directors met five times and the Executive Committee four times during the year.
- 27. With the previous approval of the Reserve Bank of India, the Board of Directors appointed M/s. K. S. Aiyar & Co. as auditors of the Corporation for the year 1969.
- 28. The administrative arrangement with the Reserve Bank of India for making available to the Corporation office accommodation and other incidental facilities continued during the year.

On behalf of the Corporation,

L. K. JHA

Chairman.

Bombay, Dated the 18th March 1970.

APPENDIX I

List of Registered Insured Banks as on the 31st December 1969

DECT-	***
*1.	Allahabad Bank, Calcutta
2.	American Express International Banking Corporation, Bombay
3.	Andhra Bank Ltd., Masulipatnam
4.	Bank of America National Trust and Savings Association, Bombay
*5.	Bank of Baroda, Baroda
6.	Bank of Cochin Ltd., Ernakulam
*7.	Bank of India, Bombay
8.	Bank of Karad Ltd., Karad
9. *10.	Bank of Madura Ltd., Madurai
11.	Bank of Maharashtra, Poona
12.	Bank of Rajasthan Ltd., Jaipur Bank of Tokyo Ltd., Calcutta
13.	Banque Nationale De Paris, Bombay.
14.	Bareilly Corporation (Bank) Ltd., Bareilly
15.	Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur
16.	Belgaum Bank Ltd., Belgaum
17.	Benares State Bank Ltd., Varanasi
18.	British Bank of the Middle East, Bombay
*19.	Canara Bank, Mangalore
20.	Canara Banking Corporation Ltd., Udipi
21.	Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur
*22.	Central Bank of India, Bombay
23.	Chartered Bank, Calcutta
*24.	Dena Bank, Bombay
25.	Dhanalakshmi Bank Ltd., Trichur
26.	Eastern Bank Ltd., Calcutta
27.	Federal Bank Ltd., Alwaye
28.	First National City Bank, Bombay
29.	Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad
30.	Gauhati Bank Ltd. Gauhati
31.	General Bank of the Netherlands, Calcutta
32.	Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur
33.	Hindusthan Mercantile Bank Ltd., Calcutta
34.	Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Calcutta
*35.	Indian Bank, Madras
*36.	Indian Overseas Bank, Madras
37.	Jammu & Kashmir Bank Ltd., Srinagar
38.	Jharia Industrial Bank Private Ltd., Jharia
39.	Karnataka Bank Ltd., Mangalore
40.	Karur Vysya Bank Ltd., Karur
41.	Kashi Nath Seth Bank Private Ltd., Shahajahanpur
42.	Krishnaram Baldeo Bank Ltd., Gwalior
43.	Kumbakonam City Union Bank Ltd., Kumbakonam
44.	Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi
45.	Lakshmi Vilas Bank Ltd., Karur
46.	Lord Krishna Bank Ltd., Cranganore
47.	Mercantile Bank Ltd., Bombay
48.	Miraj State Bank Ltd., Miraj
49.	Mitsui Bank Ltd., Bombay
50.	Naini Tal Bank Ltd., Naini Tal
51.	Narang Bank of India Ltd., New Delhi National and Grindleys Bank Ltd., Coloutte
52.	National and Grindlays Bank Ltd., Calcutta

53.	National Bank of Lahore Ltd., Delhi
54.	Nedungadi Bank Ltd., Kozhikode
55.	New Bank of India Ltd., New Delhi
56.	Oriental Bank of Commerce Ltd., Delhi
57.	Parur Central Bank Ltd., North Parur
58.	Punjab Co-operative Bank Ltd., Jullunder City
59.	Punjab & Kashmir Bank Ltd., Delhi
*60.	Punjab National Bank, New Delhi
61.	Punjab & Sind Bank Ltd., New Delhi
62.	Ratnakar Bank Ltd., Kolhapur
63.	Sahukara Bank Ltd., Ludhiana
64.	Sangli Bank Ltd., Sangli
65.	South India Bank Ltd., Tirunelveli
66.	South Indian Bank Ltd., Trichur
67.	State Bank of Bikaner & Jaipur, Jaipur City
68.	State Bank of Hyderabad, Hyderabad
69.	State Bank of India, Bombay
70.	State Bank of Indore, Indore
71.	State Bank of Mysore, Bangalore
72.	State Bank of Patiala, Patiala
73.	State Bank of Saurashtra, Bhavnagar
74.	State Bank of Travancore, Trivandrum
* 75.	Syndicate Bank, Manipal
76.	Tamil Nad Mercantile Bank Ltd., Tuticorin
77.	Tanjore Permanent Bank Ltd., Tanjore
78.	Traders' Bank Ltd., New Delhi
*79.	Union Bank of India, Bombay
*80.	United Bank of India, Calcutta
*81.	United Commercial Bank, Calcutta
82.	United Industrial Bank Ltd., Calcutta
83.	United Western Bank Ltd., Satara City
84.	Vijaya Bank Ltd., Mangalore
85.	Vysya Bank Ltd., Bangalore
	90 S S

^{*} Corresponding New Banks.

APPENDIX II

ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE ACCORDING TO THE SIZE OF THE BANKS

(As on the last Fridays of December 1961 and September each of 1962 to 1969)

	•							
						(Amounts i	n lakhs of	rupees)
		No. of banks	No. of fully protected accounts (i.e. those with balances not exceeding Rs. 1500 till 1967 and Rs. 5000 thereafter)	Total number of accounts	% of (2) to (3)	Insured deposits (i.e. amounts upto Rs. 1500 in all accounts till 1967 and Rs. 5000 thereafter)	Total deposits assessable to premium	% of (5) to (6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANK	S WITH DEPOSITS:	*		*				
	exceeding Rs. 100 crores							
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969	5 5 6 7 8 9 11	19,07,565 20,56,863 23,03,769 30,74,624 39,65,311 50,96,334 66,42,248 1,00,17,283 1,34,26,587	26,08,513 28,61,493 32,01,003 42,29,309 54,77,182 70,56,148 20,41,212 1,11,98,695 1,49,27,864	73.1 71.9 72.0 72.7 72.4 72.2 73.5 89.5 89.9	17244.19 19855.88 22279.55 29088.07 37999.30 49678.17 61039.83 145059.51 183358.19	86024.65 96614.94 108010.07 138462.50 166473.38 207848.96 243480.54 293553.75 361872.86	20.4 20.5 20.6 21.0 22.8 23.9 25.1 49.4 50.7
(ii)	exceeding Rs. 50 crores but up to Rs. 100 crores							
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968	5 4 5 6 8 7	7,70,242 8,25,565 9,09,942 13,85,569 21,19,236 27,12,915 24,04,677 26,15,724 20,21,341	10,14,608 10,96,603 12,13,716 17,80,744 26,29,196 33,44,641 29,85,961 27,62,162 21,65,761	75.8 75.3 75.0 77.8 80.6 81.1 80.5 94.7 93.3	6197.07 6813.43 7614.56 10333.84 13441.78 16821.24 15648.78 21731.23 20226.22	31166.68 33754.29 31888.94 38319.58 43504.23 56402.65 51198.50 37076.06 39500.58	19.8 20.2 23.9 27.0 30.9 29.8 30.6 58.6 51.2
(iii)	exceeding Rs. 25 crores but up to Rs. 50 crores							
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968	5 5 8 9 8 10 10	6,71,802 7,54,562 13,05,115 14,06,449 12,98,142 10,76,654 12,87,232 14,50,790 11,14,532	8,31,405 9,47,116 15,84,932 16,86,914 16,14,713 13,49,163 16,26,261 15,87,460 12,15,328	80.8 79.6 82.3 83.4 80.4 79.8 79.2 91.4	8512.36 6953.68 8549.17 16830.64	15026.17 17148.89 27658.34 31144.64 33181.42 28241.16 36531.65 38908.14 29089.03	25.0 25.7 24.6 23.4 43.3
(iv)	exceeding Rs. 10 crores but up to Rs. 25 crores							
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968	11 12 9 7 6 8 10	9,51,626 10,26,510 9,89,313 6,85,824 3,81,855 3,23,116 5,66,097 7,74,261 10,67,445	8,31,448	84.2 83.2 80.7 81.0 77.9 78.8 81.6 93.1 93.2	5828.39 6286.75 4156.66 2719.16 2188.51 3395.39 8067.82		26.7 25.5 23.5 22.0 21.5 32.3 58.8

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	eding Rs. 1 oup to Rs. 10								
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969		45 44 42 38 45 45 39	8,80,365 9,45,560 8,07,526 8,22,542 10,04,606 10,73,854 9.05,355 10,48,011 9,29,054	10,55,542 11,40,084 9,72,810 9,99,196 12,13,486 13,06,528 11,06,705 11,19,936 9,95,473	83.4 82.9 83.0 82.3 82.8 82.2 81.8 93.6 93.3	4775.77 5410.09 4616.52 4830.59 5747.14 6342.99 5361.91 10285.43 9466.18	15521.78 16298.88 15063.93 15234.29 17408.50 19887.97 17871.08 17488.71 16428.58	30.8 33.1 30.6 31.7 33.0 31.9 30.0 58.8 57.6
(vi) Rs.	1 crore or les	SS					,		
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969	10 10 10 10 10 10 10	214 203 191 138 43 28 19 13	3,60,052 3,68,360 3,36,401 2,51,218 1,28,655 81,280 60,923 46,204 50,092	4,18,117 4,24,862 3,88,630 2,94,166 1,51,076 97,106 71,581 47,849 51,886	86.1 86.7 86.6 85.4 85.2 83.7 85.1 96.6 96.5	1756.20 1823.61 1582.94 1251.60 642.37 444.72 296.02 304.03 341.53	3763.70 3913.47 3360.00 2857.08 1483.31 1071.98 754.62 430.51 473.11	46.7 46.5 47.1 43.8 43.3 41.5 39.2 70.6 72.2
TOTALS:									
	1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969		285 273 260 204 117 103 93 88	55,41,652 59,77,420 66,52,066 76,26,226 88,97,805 1,03,64,153 1,18,66,532 1,59,52,273 1,86,09,051	70,58,448 77,03,548 85,86,932 98,37,176 1,15,75,916 1,35,63,618 1,55,25,841 1,75,47,550 2,05,01,104	78.5 77.6 77.5 77.5 76.9 76.4 76.4 90.9 90.8	39231.81 44800.16 50016.29 57436.65 69062.11 82429.31 94291.10 202278.66 237405.06	169374.77 189527.29 210677.90 243728.65 274394.44 323631.29 360349.47 401187.69 467008.30	23.1 23.6 23.7 23.6 25.2 25.5 26.2 50.4 50.8

APPENDIX III

DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Statement of investments in Central Government Securities as on the 31st December 1969

Particular	s			Face value Rs.	Book value Rs.	Rate Rs. %	Market value Rs.
				(1)	(2)	(3)	(4)
DEPOSIT INSU	RANCE FU	ND:					
4½ %	1971		2	,60,10,000.00	2,58,63,482.82	100.80	2,62,18,080.00
5 %	1982		1	,30,55,000.00	1,31,58,440.00	102.10	1,33,29,155.00
51 %	1990		••	1,70,000.00	1,70,510.00	103.50	1,75,950.00
′ 5½ %	1999		1	0,04,42,600.00	10,07,09,384.00	100.35	10,07,94,149.10
			_1	3,96,77,600.00	13,99,01,816.82	,	14,05,17,334.10
Less: provisio	n for deprec	iation			5,50,000.00		
					13,93,51,816.82		
ENERAL FUNI):						
3 %	1970-75	••	• •	75,000.00	65,787.50	99.25	74,437.50
31 %	1974	• •	••	25,00,000.00	24,88,750.00	98.15	24,53,750.00
4 %	1972		••	1,05,000.00	1,02,962.50	99.80	1,04,790.0
4 %	1981	••		25,00,000.00	24,62,500.00	96.25	24,06,250.0
41 %	1972		• •	1,00,000.00	1,00,000.00	100.50	1,00,500.0
41 %	1973			30,000.00	30,000.00	100.80	30,240.0
41 %	1971	• •		10,75,000.00	10,69,625.00	100.80	10,83,600.0
4½ %	1985	• •	• •	1,00,000.00	1,00,075.00	99.00	99,000.0
41 %	1986			1,00,000.00	1,00,000.00	98.75	98,750.0
43 %	1972	••	• •	1,00,000.00	1,00,000.00	102.15	1,02,150.0
43 %	1989	• •	••	2,20,000.00	2,19,125.00	98.90	2,17,580.0
5 %	1982	• •		15,00,000.00	15,00,000.00	102.10	15,31,500.0
5½ %	1991			1,10,000.00	1,09,012.50	102.40	1,12,640.0
5½ %	1999		••	30,16,400.00	30,23,986.00	100.35	30,26,957.
				1,15,31,400.00	1,14,71,823.50		1,14,42,144.

APPENDIX IV

CLAIMS PAID OR PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT RECEIVED (AS ON 31-12-1969)

(In lakhs of rupees)

					(III lakiis Oi	
•	N	ame of bank	Date of first remittance in full satisfaction of claims as per the list of depositors	Insured deposits already paid	Insured deposits remaining unclaimed and provided for	Total insured deposits paid or provided for
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1962		_	_	_	_	_
1963	(i)	Bank of China	27- 4-1963	6.43	2.82*	9.25
	(ii)	Unity Bank Ltd., Madras	13- 9-1963	2.52	0.02	2.54
((iii)	Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri	24-12-1963	0.28	(Rs. 43)	0.28
				9.23	2.84	12.07
1964	(iv)	Metropolitan Bank Ltd., Calcutta	6-5-1964	8.74	0.06	8.80
,	(v)	Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur	3-6-1964	7.04	0.06	7.10
((vi)	Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam	19-11-1964	2.08	(Rs. 201)	2.08
(v	vii)	Unao Commercial Bank Ltd., Unnao	26-11-1964	1.06	0.02	1.08
(vi	iii)	Southern Bank Ltd., Calcutta	12-12-1964	7.28	0.06	7.34
				26.20	0.20	26.40
1 965 (i	ix)	Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur	1-2-1965	0.12		0.12
1966 ((x)	National Bank of Pakistan, Calcutta	20-9-1966	0.99		0.99
()	xi)	Habib Bank Ltd., Bombay	5-10-1966	15.73	1.54*	17.27
		*		16.72	1.54	18.26
1967		<u> </u>		_	_	-
1968		_		_	-	_
969 (xi	ii)	Chawla Bank Ltd., Dehra Dun	13-10-1969	0.18	(Rs. 2.65)	0.18
			TOTAL	52.45	4.58	57.03
		Less:	Reimbursements received up to the end of the year	31.37	4.35	35.72
				21.08	0.23	21.31

The figures of Rs. 2.82 lakhs and Rs. 1.54 lakhs are inclusive of Rs. 0.30 lakh and Rs. 0.01 lakh respectively

representing claims of traceable depositors pending disbursement.

Note: The figures of claims given above are after effecting adjustments in respect of (i) cases where it was subsequently found that more than one deposit account were held by a depositor in the same capacity and right, (ii) cases where more than one deposit account treated as having been held by a depositor in the same capacity and right were subsequently found to have been not so held, (iii) reconstruction of balances in some deposit accounts and (iv) payments to certain depositors who were originally treated as untraceable but later lodged their claims.

REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheet of the Deposit Insurance Corporation as at

31st December, 1969, showing the position of the Deposit Insurance Fund and the General Fund

respectively as on that date and also the Revenue Accounts annexed to the said Balance Sheets

showing the income and expenditure of the abovementioned two Funds for the year ended on that

date, and report on the said Balance Sheets and Accounts as follows:-

(1) We have obtained all the information and explanations we have required for the pur-

poses of our audit and the same have been satisfactory.

(2) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations

given to us, the said Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet and is properly drawn

up containing all the necessary particulars so as to exhibit a true and correct view of

the state of affairs of the Corporation as at 31st December 1969 and is also properly

drawn up in accordance with the requirments of Regulation 18 of the Deposit Insurance

Corporation General Regulations, 1961.

BOMBAY,

20th March 1970.

K. S. AIYAR & CO.,

Chartered Accountants

15

DEPOSIT INSURANCE

(Established under the Deposit

Regulation

Balance Sheet as at the close of business

I-DEPOSIT

As at the 31st December 1968 Rs. p.	LIABILITIES	Rs. p.	Rs. p.
8,59,36,747.24	1. FUND: Balance at the beginning of the year	11,13,49,413.70	
2,54,12,666.46	Add: Net accretion to the Fund during the year transferred from the Revenue Account	3,00,97,843.47	
11,13,49,413.70	Balance at the end of the year		14,14,47,257.17
_	2. Advance from the Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance Corporation Act)		_
_	Advance from the General Fund (Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act)	-	
6,69,477.46	4. Insured deposits remaining unclaimed (per contra) (As per Annexure II)		4,57,297.21
_	5. Insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled (per contra)		_
	6. Other Liabilities:		
46,156.74	Excess premium refundable to banks		1,02,885.54
		H W 1	
			,
4			
	2 - 0 - 0		
	- 2 , - 21		
			u u
11,20,65,047.90			14,20,07,439.92

Note: Claims in respect of insured deposits of the Bank of Behar Ltd. now amalgamated with the State Bank of India under section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, are estimated at approximately Rs. 60 lakhs.

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

CORPORATION

Insurance Corporation Act, 1961)

18-Form A

on the 31st December 1969

INSURANCE FUND

As at the 31st December 1968	ASSETS		Y 40 1
Rs. p.	r - 2 10	Rs. p.	Rs. p.
10,413.80	Balance with the Reserve Bank of India	12.1114.1	10,133.99
10,92,52,342.82	2. Investments in Central Government Securities (at cost less provision of Rs. 5,50,000 for depreciation)	2 %	13,93,51,816.82
Rs.10,96,92,000.00)	(Face value Rs. 13,96,77,600.00)		
Rs.11,06,12,770.00)	(Market value Rs. 14,05,17,334.10)	7-3-18	
18,31,929.60	3. Interest accrued on investments	- 100 År - s x År	18,26,959.51
20,90,935.78	Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits already paid	21,09,187.77	39 ₅
13,35,704.00	Less: Provision for estimated insurance losses (As per Annexure I)	14,86,608.00	
7,55,231.78	F (A) Columnia de la colonia d	to year	6,22,579.77
6,69,477.46	5. (a) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits remaining unclaimed (per contra) Rs. 4,57,297.21	111213	
6,47,254.99	Less: Reimbursements received to date Rs. 4,35,072.09	22,225.12	
22,222.47	-	22,223.12	
	(b) Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits in banks whose registration as insured banks has been cancelled (per contra)	Acceptance (1)	
22 222 47	(per contra)	22.005.10	
22,222.47 14,296.00	Less: Provision for estimated insurance losses	22,225.12	
	Less: Provision for estimated insurance losses	13,392.00	8,833.12
7,926.47			
1,97,850.55	6. Other Assets: Outstanding premium due from banks	1,77,763.83	
9,352.88	Amount paid towards claims under section 17(2) of the Act remaining undisbursed	9,352.88	1 07 116 71
2,07,203.43			1,87,116.71
	v 3		
11,20,65,047.90			14,20,07,439.92

Bombay, 18th March 1970

Manager

M. J. AMBANI

L. K. JHA

B. N. ADARKAR P. K. GHOSH

Chairman

Directors

R. K. SESHADRI

Executive Director

DEPOSIT INSURANCE

(Established under the Deposit

Regulation

Balance Sheet as at the close of

II-GENERAL

As at the 31st December 1968	LIABILITIES	7		
Rs. p.	• 19		Rs. p.	Rs. p.
1,00,00,000.00	1. CAPITAL:			1,00,00,000.00
	Provided by the Reserve Bank of Section 4 of the Deposit Insurance Co.	India under rporation Act		
	2. RESERVES :			
8,14,090.55	General Reserve		10,52,593.44	
6,10,000.00	Investment Reserve		6,10,000.00	
-	Other Reserves		_	
14,24,090.55				16,62,593.44
	3. CURRENT LIABILITIES AND PRO	visions :		,
-	Staff Provident Fund			
_	Staff Gratuity Fund		_	
	Other Liabilities ;			
26,969.97	Outstanding expenses		35,836.16	
26,969.97		- 1		35,836.16
				30 * =
		. ,		. =
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			_	2
1,14,51,060.52				1,16,98,429.60

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

ariter, ar jedet

CORPORATION

Insurance Corporation Act, 1961)

18-Form A

business on the 31st December 1969

FUND

As at the 31st December 1968	ASSETS		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rs. p.		Rs. p.	Rs. p.
	1. CASH:	1 1 2 2	
81.93	(i) In hand	92.20	
3,477.37	(ii) With Reserve Bank of India	24,402.19	
3,559.30			24,494.39
1,12,48,142.50	2. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERN- MENT SECURITIES (at cost)	10 1- 1	1,14,71,823.50
1,13,15,000.00	(Face value Rs. 1,15,31,400.00)		
1,12,09,130.00	(Market value Rs. 1,14,42,144.90)		
1,82,416.30	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	* * 1	1,85,416.93
-	4. ADVANCE TO THE DEPOSIT INSURANCE FUND, IF ANY (vide Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act)		
	5. OTHER ASSETS :		
10,685.91	Furniture, Fixtures & Equipment, less depreciation	10,282.21	
1,428.51	Stock of stationery	1,682.13	
162.20	Library books, less depreciation	208.00	
4,153.00	Deposits under 'Own Your Telephone Scheme'	3,903.00	
512.80	Prepaid expenses	619.44	
16,942.42	· · · · ·		16,694.78
1,14,51,060.52	- 1 ×	-	1,16,98,429.60
	*		

M. J. AMBANI

R. K. SESHADRI

L. K. JHA

Chairman

Manager

Executive Director

B. N. ADARKAR P. K. GHOSH

Directors

Bombay, 18th March 1970

(Form

I. Revenue Account (Deposit Insurance Fund)

Previous year	EXPENDITURE		
Rs. p.		Rs. p.	Rs. p.
	To Insurance Losses:	9	
	(a) Claims written off during the year	_	G
13,50,000.00	(b) Provision for estimated losses as at the end of the year	15,00,000.00	
13,50,000.00		15,00,000.00	
12,00,000.00	(c) Less: Provision for estimated losses as at the beginning of the year	13,50,000.00	1,50,000.00
	" Interest on advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance Corporation Act)	1 2	
_	" Interest on advance from General Fund (Section 27 of the Deposit Insurance Corporation Act)	e : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	_
2,54,12,666.46	" Net accretion transferred to the Fund	#	3,00,97,843.47
-		2 5 ° - ×	
		и	
2,55,62,666.46		-	3,02,47,843.47
	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×].	

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

B)

for the year ended the 31st December 1969"

div to general

Previous year Rs. p.	INCOME Rs. p.	Rs. p.
1,99,86,607.55	By Insurance Premium (including interest)	2,30,72,864.73
55,76,058.91	By Income from Investments	71,74,978.74
		1. S. F. Mr.
	and the second of the second o	
	* 1	F + F .
		14 1 11 1
.,	e acetta	1 . 1 . 1
		1
		- P- 3x
<u>-</u>		
- 2,55,62,666.46	-	3,02,47,843.4

M. J. AMBANI

L. K. JHA

Chairman

Manager ' ' ...

Executive Director

B. N. ADARKAR P. K. GHOSH

Directors

6. 11 Pag 35 1000 page 1. 18

Bombay, 18th March 1970

er a contra to the

DEPOSIT INSURANCE

(Form

II-Revenue Account (General Fund)

Previous year	EXPENDITURE	
Rs. p.		Rs. p.
2,50,015.41	To Salaries and allowances and contribution to Provident Fund	2,35,890.24
11,439.06	" Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund	10,625.28
1,250.00	" Directors' and Committee Members' fees	1,350.00
8,329.70	" Directors' and Committee Members' travelling and other allowances	8,124.00
38,268.64	" Rent, taxes, insurance, lighting, etc	37,933.84
_	" Establishment—Travelling and halting allowances	1,119.85
5,787.28	" Printing and Stationery	5,221.48
2,702.09	" Postage, telegrams and telephones	2,473.20
2,000.00	" Auditors' fees	2,500.00
2,025.68	" Legal charges	252.00
17,403.20	" Miscellaneous expenses	5,986.02
2,138.34	" Depreciation	1,887.76
1,57,683.92	" Balance, being excess of income over expenditure carried down	2,38,502.89
4,99,043.32		5,51,866.56
		+
1,57,683.92	To Transfer to General Reserve	2,38,502.89
_	" Transfer to Other Reserves	_
	" Transfer to Investment Reserve	_
7,57,683.92		2,38,502.89

As per our report of even date attached

K. S. AIYAR & CO.

Chartered Accountants

Bombay, 20th March 1970

CORPORATION

B)

for the year ended the 31st December 1969

Previous year Rs. p.	INCOME	Rs. p.
4,99,019.05	By Income from Investments	5,51,843.22
_	" Interest on Advance to Deposit Insurance Fund	= = ,
24.27	" Miscellaneous receipts	23.34
4,99,043.32		5,51,866.56
1,57,683.92	By Balance, being excess of income over expenditure brought down	2,38,502.89
¥		
. 1		
1,57,683.92		2,38,502.89

M. J. AMBANI

R. K. SESHADRI

L. K. JHA

Chairman

Manager

Executive Director

B. N. ADARKAR P. K. GHOSH

Directors

Bombay, 18th March 1970

ANNEXURE I

SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITORS

		Rs. p.	Rs. p.
Total amount paid until the end of the previous year (After adding R transferred from untraceable accounts to traceable accounts and at Rs. 15.32 refunded to the Corporation during the year)			52,27,689.27
Less: (i) Reimbursements received until the end of the previous year Rs. 2,12,182.90 transferred from untraceable accounts accounts and deducting Rs. 6.13 adjusted against t Rs. 15.32 above)	to traceable	31,36,762.68	u. z
(ii) Claims written off until the end of the previous year		NIL	
(iii) Provision for estimated losses until the end of the previou	s year	13,35,704.00	44,72,466.68
Net amount paid as at the beginning of the year less provision for estimate	ted losses		7,55,222.59
Add: Insured deposits paid during the year		•	18,261.18
			7,73,483.77
Less: (i) Reimbursements received during the year		NIL	
(ii) Claims written off during the year		NIL	
(iii) Provision for estimated losses made during the year (Inclu transferred from provision for estimated loss in respect deposits)	of unclaimed	1,50,904.00	1,50,904.00
Net amount paid as at the end of the year less provision for estimated loss	ses		6,22,579.77

ANNEXURE II

INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED AS ON THE 31ST DECEMBER 1969

	Rs. p.
Amount outstanding at the beginning of the year	6,69,477.46
Add: Amount of insured deposits tendered during the year but remaining unclaimed	2.65
	6,69,480.11
Less: Amount claimed and paid during the year (being claims of Chinese depositors paid to the Custodian of Enemy Property)	2,12,182.90
Total insured deposits remaining unclaimed at the end of the year	4,57,297.21